



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2020-21



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2020-21



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
प्लॉट नं. 85, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Sector-18, Institutional Area, Gurugram – 122015 (Haryana)
दूरभाष/Ph.: 0124-2342992, Fax : 0124-2342991
वेबसाइट/Website : www.nhb.gov.in

विषय—सूची

प्रस्तावना

1. परिचय

- 1.1 दृष्टिकोण
- 1.2 मिशन
- 1.3 उद्देश्य

2. संगठन

- 2.1 निदेशक मंडल
- 2.2 प्रबंध समिति

3. संसाधन

- 3.1 हमारे लोग
- 3.2 हमारा नेटवर्क
- 3.3 हमारी अवसंरचना

4. वित्त—पोषण

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

- 5.1 उत्पादन तथा फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास
 - 5.1.1 परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास
 - 5.1.2 परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास
 - 5.1.3 एकीकृत फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ
 - 5.1.4 उपलब्धियाँ
- 5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण / विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना
 - 5.2.1 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप—1 — एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार
 - 5.2.2 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप—2 — बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ
 - 5.2.3 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप—2 — नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित
 - 5.2.4 प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण
 - 5.2.5 उपलब्धियाँ
- 5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण
 - 5.3.1 उद्देश्य
 - 5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका
 - 5.3.3 उपलब्धियाँ

- 5.4 बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा
- 5.5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ / विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

मुख्य विशेषताएँ : 2020–21

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन
 - क) वाणिज्यिक बागवानी – खुले क्षेत्र की खेती
 - ख) वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती
 - ग) फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता
 - घ) गुणवत्ता रोपण सामग्री
 - ड.) पूरक गतिविधियां
2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन
3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण
 - क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
 - ख) गुणवत्ता रोपण सामग्री
4. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 20 अगस्त 2020 को रा.बा.बो. का राजभाषा निरीक्षण
5. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन
6. हिंदी पखवाड़ा समारोह और हिंदी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरण

रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहल:

- i) बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम
- ii) राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल

संलग्नक

- i. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य
- ii. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची – 31–03–2021 के अनुसार
- iii. स्टॉफ स्थिति – 31–03–2021 के अनुसार
- iv. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित
- v. वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखे

प्रस्तावना

यह बहुत ही गर्व की बात है कि देश में बागवानी क्षेत्र ने भारतीय बागवानी के इतिहास में वर्ष 2020–21 के दौरान अब तक का सबसे अधिक 331.05 मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज किया है। भारत विश्व स्तर पर फल और सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखे हुए हैं। यह राष्ट्र की खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान देने और नाशवान बागवानी उत्पादों के उत्पादन के कार्य को पूरा करने के लिए भारतीय किसान की इच्छा—शक्ति और जोखिमपूर्ण उद्यमशीलता को दर्शाता है।

रा.बा.बो. ने अपनी व्यापक आधारित उद्यमी शंचालित नवीन योजनाओं के माध्यम से उन्नत गुणवत्तायुक्त उत्पादन, फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य वर्धन के लिए किसानों तथा उद्यमियों को सहायता प्रदान करके यह मील का पत्थर हासिल करने में बहुआयामी भूमिका निभाई है। वर्ष 1984 में इसकी स्थापना के समय से, रा.बा.बो. ने वर्ष 1993 के दौरान सुलभ ऋण योजनाओं के शुभारंभ और वर्ष 2000 से ऋण से जुड़ी बैंक—एन्डिड सब्सिडी योजना की शुरुआत करके उच्च—तकनीक वाली वाणिज्यिक बागवानी और कोल्ड चेन अवसंरचना का विकास करने की अपनी प्रारंभिक यात्रा के साथ बागवानी क्षेत्र में बेहद योगदान दिया है। वर्ष 2014–15 से, रा.बा.बो. को देश में वाणिज्यिक बागवानी और फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन के बुनियादी ढांचे के योजनाबद्ध विकास की गति को तेज करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत लाया गया है।

वर्ष के दौरान रा.बा.बो. से वित्तीय सहायता प्राप्त बागवानी विकास की कुछ मुख्य विशेषताओं में 2065 एकड़ क्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी की 307 परियोजनाओं की स्थापना, 33 फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन तथा उच्च—तकनीक वाली वाणिज्यिक इकाईयों की स्थापना और 1.15 लाख मीट्रिक टन क्षमता की 16 कोल्ड स्टोरेज इकाईयों की स्थापना शामिल है।

भारतीय बागवानी क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का शुभारंभ किया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वांगीण विकास और चिह्नित किए गए बागवानी कलस्टरों का समग्र विकास करना है ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मजबूत बनाया जा सके।

देश में गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान, रा.बा.बो. ने राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा किया है। यह पोर्टल नर्सरी मालिकों को बागवानी उत्पादकों को गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की आपूर्ति करने के लिए उनकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और निकटवर्ती स्थानों एवं सभी राज्यों में अपनी पसंद की विभिन्न फसलों की रोपण सामग्री की खरीद करने के लिए खरीदारों की सहायता करेगा। यह प्लेटफार्म रोपण सामग्री की मांग तथा आपूर्ति के साथ—साथ अनुमानित मांग सहित माल—सूची की वास्तविक समय दृश्यता प्रदान करेगा।

मैं यह अवश्य बताना चाहता हूँ कि बागवानी विकास के क्षेत्र में बोर्ड की ये उपलब्धियाँ माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी और रा.बा.बो. के निदेशक मंडल के सदस्यों के योग्य मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थीं। मैं श्री संजय अग्रवाल, सचिव, डीएंडएफडब्ल्यू और अध्यक्ष, प्रबंध समिति तथा इसके सदस्यों का उनके नियमित मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा करने में रा.बा.बो. के अधिकारियों एवं स्टाफ की टीम द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट सहयोग की सराहना करता हूँ।

(राजबीर सिंह)
प्रबंध निदेशक

1. परिचय

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की स्थापना अप्रैल 1984 में भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में, एनएचबी के देश भर में 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बोर्ड के व्यापक प्रयोजन और उद्देश्य एकीकृत उच्च-वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन कलस्टर / हब विकसित करना, कटाई उपरांत और पुरानी श्रृंखला के बुनियादी ढांचे का विकास करना, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और हाई-टेक वाणिज्यिक बागवानी आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों / उपकरणों / तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

1.1 दृष्टिकोण

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों हेतु जोखिम के नवीनीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।
- देश में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना का सृजन, प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं।
- इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

1.2 मिशन

- उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी शेयरधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास और निर्यात संवर्धन।

1.3 उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य संलग्नक-1 में दिए गए हैं।

2. संगठन

2.1 निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय “निदेशक मंडल” द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। निदेशक मंडल का संघटन इस प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2.	केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	केन्द्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	महानिदेशक, भारतीय कृषि, अनुसंधान परिषद्	सदस्य (पदेन)
5.	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
7.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	सदस्य (पदेन)
10.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का एक प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेषतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित किया जा सकता है	सदस्य (पदेन)
12.	बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी—विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	गैर-सरकारी सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची, 31–03–2021 के अनुसार, संलग्नक—II में दी गई है।

2.2 प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन इस प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केंद्रीय सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
7.	महाप्रबंधक, नाबार्ड	सदस्य (पदेन)
8.	किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

3. संसाधन

3.1 हमारे लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्योरे संलग्नक—III में दिए गए हैं।

3.2 हमारा नेटवर्क

इस बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची संलग्नक—IV में दी गई है।

3.3 हमारी अवसंरचना

1. 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा—भरा परिसर।
2. प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
3. बागवानी प्रकाशनों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
4. प्रधान कार्यालय में समिति हॉल तथा कैटीन सुविधाएँ।

4. वित्त—पोषण

बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त—पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं:—

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	योजना का नाम	प्राप्त अनुदान	अव्ययित शेष (01–04–2020 के अनुसार)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय
1.	एन.एच.बी.	10174.60	5002.59	15177.19*	10714.56
2	एन.एच.एम. (टीएसजी)	200.00	44.82	244.82	193.71
3	एन.बी.एम. (टीएसजी)	20.00	5.26	25.26	6.82

*वर्ष 2020–21 के दौरान राशि रु. 2769.71 लाख डीएसी एंड एफडब्लू को वापिस किया गया था (2019–20 से पहले अव्ययित शेष के कारण, कॉल बैक सम्पिली और अर्जित व्याज)।

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी फसलों में पद्धतियों तथा प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन के आधुनिक पैकेज के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार—संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल—कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सृजित करने और उत्पादन तथा फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यवर्तन का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2020–21 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:—

5.1 उत्पादन तथा फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

इस घटक के अंतर्गत, खुला क्षेत्र में एवं संरक्षित परिस्थितियों के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए परियोजनाएं, फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
5.1.1	परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उम्दा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल हैं। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे घटक भी योजना के अधीन मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए पात्र हैं।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 30.00 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 37.50 लाख प्रति परियोजना है।
5.1.2	परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास	यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएं शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाउसों, शेड नैट हाउसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्चिंग, और प्लास्टिक सुरंग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियाँ सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 56.00 लाख प्रति परियोजना है। (बोर्ड को उत्तर-पूर्वी राज्यों में 1000 वर्ग मी. और अधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती के अधीन परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।)
5.1.3	एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं	i) पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, प्री-कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं को इस घटक के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। रा.बा.बो. घटक मोड में पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएं भी स्वीकार करता है।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 50.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता हेतु कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु 72.50 लाख प्रति परियोजना है।

		<p>ii) केवल फलों, सब्जियों, फूलों, काजू और सुगन्धित पौधों की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां</p>	<p>क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹0 8.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर—पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता सहित कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹0 12.50 लाख प्रति परियोजना है।</p>
--	--	--	---

5.1.4 उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 340 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें ₹0 5224.69 लाख की सहायिकी दी गई। परियोजनाओं में हाई—टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैक हाउस और ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, रीफर वैन, प्री—कूलिंग इकाईयां, कोल्ड रूम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल हैं।

खुले क्षेत्र में खेती



इडुक्की जिला (केरल) में खुले क्षेत्र में इलाइची की खेती



अनंतपुर जिला (आंध्र प्रदेश) में खुले क्षेत्र में अनार की खेती



नासिक जिला (महाराष्ट्र) में खुले क्षेत्र में अंगूर की खेती



नलगोंडा जिला (तेलंगाना) में खुले क्षेत्र में आम और मौसम्बी की खेती

संरक्षित खेती



बंगलौर ग्रामीण जिला (कर्नाटक) में पॉली हाउस के तहत जरबेरा की खेती



खरगोण जिला (मध्यप्रदेश) में शेडनेट हाउस के तहत खीरा की खेती

संरक्षित खेती



लातूर जिला (महाराष्ट्र) में पॉली हाउस के तहत जरबेरा की खेती



बंगलौर ग्रामीण जिला (कर्नाटक) में पॉली हाउस के तहत कारनेशन की खेती

रीफर वैन



मैं0 किरात लॉजिस्टिक्स, दिल्ली की एन.एच.बी. से सहायता—प्राप्त रीफर वैन

ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट



हिमाचल प्रदेश में सेब की ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूँजी निवेश सहायिकी योजना

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंकड परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र.सं.	विवरण	मद्दें	सहायता का तरीका
5.2.1	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 1 – मूल मेजेनाइन संरचना बड़े चैम्बर (> 250 मी.ट.) सहित एकल तापमान जोन के साथ	<p>रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • @रु. 8000 / मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @रु. 7600 / मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 7200 / मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 6800 / मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए 	<p>क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी 5000 मी.ट. से अधिक की क्षमता के लिए परियोजना की लागत के 35 प्रतिशत (उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी.) (120 घन फीट {घ.फी.} चैम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएं लेने की अनुमति दी गई है।) हालांकि, सभिंडी का लाभ उठाने के लिए सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।</p>
5.2.2	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 – पीईबी टाइप बहु तापमान और उत्पाद उपयोग के लिए, < 250 मी.ट. के 6 चैम्बरों से अधिक और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ	<p>रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • @रु. 10000 / मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @रु. 9500 / मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 9000 / मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 8500 / मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए 	
5.2.3	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2 – नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित	<p>रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर ऊपर दी गई टाइप 2 दरों के अनुसार विचार करता है।</p> <p>टरिक्ट रु. 10,000 / मी.ट. नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के एडऑन घटकों के लिए घटक वार लागत के अनुसार।</p>	
5.2.4	प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण	<ul style="list-style-type: none"> • @रु. 5000 / मी.ट. क्षमता 5001 से 10000 मी.ट. के बीच के लिए • आधुनिकीकरण के घटकों में शामिल हैं – पीएलसी घटक, पैकिंग लाइन, डॉक लेवलर, एडवांस ग्रेडर्स, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ, स्टेकिंग प्रणाली, इन्सयूलेशन और रेफ्रिजरेशन का आधुनिकीकरण आदि। 	

5.2.5 उपलब्धियाँ

इस योजना के अधीन, बोर्ड ने रिपोर्टार्धीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल्ड स्टोरेजों / सीए स्टोरेजों की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 114810.70 मी.ट. की क्षमता के सृजन के लिए रु. 3216.54 लाख की सक्षिकी दी गई है।

कोल्ड स्टोरेज



मै0 कल्याण कोल्ड स्टोरेज, जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) की एन.एच.बी. से सहायता-प्राप्त यूनिट



मै0 चतराड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जिला हावेरी (कर्नाटक) की एन.एच.बी. से सहायता-प्राप्त यूनिट

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

5.3.1 उद्देश्य

वाणिज्यिकीकरण /अंगीकरण के लिए चिन्हित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु परियोजनाएँ निम्नलिखित उप-घटकों के माध्यम से चलाई जाएंगी:

5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका

क्र.सं.	घटक	सहायता का तरीका
i	ब्लॉक/मदर प्लांट तथा रुट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है0 से अधिक)	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु. 100. 00 लाख/है0 की दर से केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
ii	बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण।	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से रु. 50.00 लाख/परियोजना की दर से।
iii	प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु नई मशीनों तथा औजारों का आयात/खरीद।	रु. 50.00 लाख/मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा. बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है।
iv	<p>प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) उच्च गुणवत्तायुक्त वाणिज्यिक उत्पादन के संवर्धन या उत्पादकता में वृद्धि के लिए नए फार्म आगत के प्रारम्भ और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों इत्यादि के लिए प्रायोगिक परियोजना। (ii) पीएचएम, कोल्ड चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नए प्रोटोकॉल का विकास और परिचय तथा पीएचएम, स्टोरेज कोल्ड चेन सिस्टम सहित और हैंडलिंग के लिए नए औजारों/उपस्करों/मशीनरियों का परिवय। (iii) उत्पादन, पीएचएम, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग तथा परिवहन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आर एंड डी परियोजनाएं। 	कुल लागत के 100 प्रतिशत रूप में रु. 25.00 लाख/परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से।

v	लम्बी दूरी के परिवहन और रेल के माध्यम से बागवानी उत्पादों के थोक आवागमन को सुगम बनाने के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान घटक।	परियोजना आधारित रु. 2000.00 लाख।
vi	उत्पाद संवर्धन और बाज़ार विकास सेवाएँ – हार्टि-फेअर	रु. 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत।
vii	किसानों की एक्सपोजर यात्रा (राज्य के बाहर)	परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार।
viii	सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा	रु. 6.00 लाख प्रति प्रतिभागीदार— हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत।
ix	बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ प्रदर्शनियों आदि का आयोजन/भागीदारी।	(i) वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय आयोजन (3–5 दिन) के लिए रु. 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु. 5.00 लाख, राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 3.00 लाख और जिला–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 0.50 लाख तक सीमित होगी। (ii) अल्पावधि (1–2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी: <ul style="list-style-type: none">▪ रु. 1.00 लाख प्रति राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए;▪ रु. 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय–स्तरीय आयोजन के लिए, और▪ रु. 3.00 लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)।
x	फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग	रु. 1.00 लाख / नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा।

5.3.3 उपलब्धियाँ

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रगतिशील किसानों के दौरों, हार्टि संगम, संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शनियों के आयोजन/भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 12 परियोजनों को सहायता प्रदान की है और रु0 54.34 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।



राष्ट्रीय बागवानी मेला— 2021 (8–12 फरवरी 2021) में रा.बा.बो. का स्टॉल, आईआईएचआर, बैंगलुरु (कर्नाटक)

फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग



जिला जम्मू (जम्मू व कश्मीर) में फल पौध नर्सरी



जिला जालना (महाराष्ट्र) में फल पौध नर्सरी



जिला उडुपी (कर्नाटक) में सब्जी नर्सरी



जिला नासिक (महाराष्ट्र) में सब्जी नर्सरी

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाज़ार सूचना सेवा

इस योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास, डेटा फीडिंग, प्रचार के माध्यम से सूचना प्रसार, मुद्रित साहित्य, स्थानीय विज्ञापनों आदि का कार्य होता है। इस योजना में एमआईडीएच के टीएसजी घटक के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार अनुमोदित दरों पर आउटसोर्स स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और बागवानी सहायकों को लगाने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत मिशन प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय सहित एन.एच.बी. केन्द्रों हेतु राशि रु. 766.79 लाख का व्यय हुआ है।

5.5 बागवानी संवर्धन सेवाएँ / विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएंगे और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य अपनी मैनपावर और आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ किया जाता है और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बागवानी संवर्धन सेवा योजना के तहत रु. 134.41 लाख और मिशन प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय के तहत रु. 1283.53 लाख की राशि मुख्यालय हेतु व्यय की गई है।

मुख्य विशेषताएँ : 2020–21

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

- क) वाणिज्यिक बागवानी – खुले क्षेत्र की खेती : विभिन्न फलों, मसालों, सुगंधित पौधों की परियोजना मोड में खुले क्षेत्र परिस्थितियों वाली 181 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए रु. 1076.60 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 1978.68 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ख) वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती : फूलों और सब्जियों की संरक्षित परिस्थितियों वाली 126 परियोजनाओं के लिए रु. 3535.246 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 187.55 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ग) फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता :
- ग्रेडिंग पैकिंग इकाईयाँ, पैक हाऊस, कोल्ड रूम आदि के सृजन हेतु 18 परियोजनाएँ जिसमें रु. 181.90 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
 - प्राथमिक प्रसंस्करण : काजू, अन्य फल एवं सब्जी तथा किशमिश की 7 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयाँ जिसमें रु. 61.15 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
 - 2 राइपनिंग इकाईयाँ, 1 रीफर वैन परियोजनाएँ जिसमें रु. 103.852 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
- घ) गुणवत्ता रोपण सामग्री : नर्सरी : पुष्पोत्पादन और सब्जियों के नवांकुर नर्सरी इकाईयों की स्थापना के लिए 2 परियोजना को रु. 45.715 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 3.75 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ङ.) पूरक गतिविधियां : टिशू कल्वर इकाईयों की 3 परियोजनाएँ जिसमें रु. 25.893 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

- क) एन.एच.बी. ने 114810.70 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए 16 कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरों को रु. 3216.54 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई है।

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

- क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम : विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लाट नर्सरियों के 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए/सहयोग प्रदान किया गया।
- ख) गुणवत्ता रोपण सामग्री : फल एवं सब्जी नर्सरी के प्रमाणन तथा मूल्यांकन की प्रणाली 2008–09 से शुरू की गई है। 2020–21 के दौरान, बोर्ड ने 406 नर्सरियों को प्रमाणित किया है।

4. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 20 अगस्त 2020 को रा.बा.बो. का राजभाषा निरीक्षण



5. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन



प्रख्यात स्पीकर द्वारा व्याख्यान

6. हिंदी पर्खवाड़ा समारोह और हिंदी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार वितरण



रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहलः

I. बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम

भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफडब्लू), भारत सरकार ने एक व्यापक बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को अंतिम रूप दिया है जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम होगा, जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी समूहों के समग्र वर्धन और विकास को सक्षम बनाना है ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके।

सीडीपी को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। एमओए एंड एफडब्लू ने 53 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के पायलट लॉन्च के लिए चुना गया है। पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख के आधार पर, सभी 53 समूहों को कवर करने के लिए कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने कार्यक्रम गतिविधियों के कार्यान्वयन को चलाने और समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी) की नियुक्ति की है।

क्षेत्र के दौरों से सहायता प्राप्त मूल्य श्रृंखला के कई हितधारकों के साथ कई दौर के परामर्श के बाद, सीडीपी के लिए कार्यान्वयन संरचना को तैयार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मई 2021 में शुरू होने की उम्मीद है।




Figure: Programme Implementation Structure

53 कलस्टरों में कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के बाद, कुल मिलाकर लगभग 1 मिलियन किसानों को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है, जो कि रु. 10000 करोड़ के कुल अनुमानित निवेश का लाभ उठाएंगे और निर्यात में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।



II. राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल

गुणवत्ता रोपण सामग्री की अपर्याप्त उपलब्धता भारत में विभिन्न बागवानी फसलों की कम उत्पादकता का एक प्रमुख कारण है। आम चुनौतियां 2 से 3 साल के बाद भी ग्राफ्ट्स का अचानक सूख जाना, लंबी परियोजना अवधि, और 6–7 साल बाद भी पेड़ों के फूल न आना, खराब फल सेटिंग, कम उत्पादकता और फलों की खराब गुणवत्ता के बारे में हैं।

उपरोक्त मुद्दे से चिंतित, भारत सरकार नर्सरी की स्थापना, उनकी मान्यता और रेटिंग के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत में बागवानी फसलों की गुणवत्ता रोपण सामग्री का प्रसार, बहुलीकरण और वितरण के प्रयोजन हेतु देश भर में गुणवत्ता नर्सरी का एक नेटवर्क स्थापित करना है।

बागवानी फसलों के लिए बड़ी संख्या में नर्सरी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं और उनमें से कई को विभिन्न एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है, हालांकि, किसी भी दी गई अधिकारी के दौरान विभिन्न फसलों और उनकी किसिमों के लिए जो बिखरी हुई है और एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है, नर्सरियों के स्थान, उनकी रेटिंग और उनके साथ रोपण सामग्री की उपलब्धता से संबंधित जानकारी दी गई है। नतीजतन, इस क्षेत्र में किसानों/उत्पादकों और अन्य हितधारकों के लिए जानकारी कम प्राप्त होना है।

राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव

उपरोक्त समस्या को दूर करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से भारत में नर्सरियों के लिए एक 'ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म' स्थापित करने का निर्णय लिया, जिससे किसानों/उत्पादकों और अन्य हितधारकों को आस-पास के इलाकों में गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। तदनुसार, एनएचबी ने राष्ट्रीय नर्सरी वेब पोर्टल को डिजाइन और प्रबंधित करने के लिए एक पेशेवर एजेंसी को कार्य सौंपा। इस प्रक्रिया में, संबंधित हितधारकों के साथ विभिन्न परामर्श किए गए ताकि प्रस्तावित पोर्टल में सभी आवश्यक सुविधाओं को शामिल किया जा सके।




"Prosperity through Horticulture"



"Ensuring Availability of Quality Planting Material "

इस पोर्टल के माध्यम से, नर्सरी मालिक अपनी प्रोफाइल और पोस्ट सेल ऑफर दिखा सकेंगे और रोपण सामग्री के खरीदार पूछताछ पोस्ट कर सकते हैं और मेल खाने वाले सेल ऑफर देख सकते हैं। राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं: –

- पंजीकरण के बाद, नर्सरियाँ पौध रोपण सामग्री स्टॉक की उपलब्धता सहित अपने प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगी।
- नर्सरियों को रेटिंग प्रणाली और/या राज्य सरकारों के साथ भी जोड़ा जाएगा। यह खरीदारों को नर्सरी से उनके द्वारा खरीदे गए उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सूचित करने और निर्णय लेने की अनुमति देगा।
- नर्सरियाँ, पोर्टल में पंजीकृत खरीदारों को बिक्री प्रस्ताव पोस्ट करने में सक्षम होंगी।
- खरीदार, पोर्टल में पूछताछ पोस्ट करने में सक्षम होंगे।
- पोर्टल पर वर्चुअल एग्रीगेशन फीचर, नर्सरी के सेल ऑफर्स के साथ क्रेता की पूछताछ से स्वतः मेल खाएगा। नर्सरी और खरीदार पोर्टल का उपयोग करके संदेशों का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
- यह नर्सरियों और खरीदारों के बीच संचार अनुबंध और ज्ञान प्रसार के लिए भी एक मंच होगा।



कृषक समुदाय के व्यापक कवरेज के लिए इस पोर्टल को अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, पंजीकृत खरीदारों और नर्सरियों के लिए “एनरॉयड” और “आईओएस” दोनों प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल के मोबाइल एप भी कोडिंग की प्रक्रिया में हैं।

नव विकसित एनएचबी का राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल प्लेटफॉर्म खरीदारों को नर्सरियों तक आसानी से पहुंचने के साथ-साथ गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता, मूल्य अपेक्षा आदि से अवगत कराने में मदद करेगा। इसी तरह नर्सरियाँ भी बाजार की मांग से रुबरू होंगी। खरीदारों का नर्सरियों से सीधे जुड़ने के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि नर्सरियों को उनकी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के लिए बेहतर पारिश्रमिक मिलेगा और साथ ही बेहतर उपज और गुणवत्ता अनुपालन के लिए समय पर सलाह प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

- i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च—प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे ।
- ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई—उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना ।
- iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना ।
- iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार—प्रसार करना ।
- v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना ।
- vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना ।
- vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।
- viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना ।
- ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताजे बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि ।
- x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बागवानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेजों में परिचालक, ताजे बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण ।
- xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना ।
- xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना ।
- xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना ।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2021 के अनुसार)

क्रम सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
1	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23383370 / 23782691 / 23384129 ईमेल: am.krishi@nic.in	अध्यक्ष (पदेन)
2	श्री परशोत्तम रूपाला माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23782343 / 23782565 ईमेल: mos.krishi@nic.in	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	श्री संजय अग्रवाल सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382651 / 23388444 ईमेल: secy-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)
4	डॉ. त्रिलोचन मोहपात्रा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382629-476 / 25841976 / 23386711 / 25843190 (आवास) ईमेल: dg.icar@nic.in	सदस्य (पदेन)
5	श्री जी. श्रीनिवास अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381363 / 23382532 ईमेल: asfa-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)
6	डॉ. अभिलक्षण लिखी अपर सचिव (बागवानी), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382219 ईमेल: ascc-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)

7	श्री राजबीर सिंह संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दरभाष: 011-23382444 / 23073779 ईमेल: jsmidh-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)
8	डॉ. बी.एन.एस. मूर्ति बागवानी आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दरभाष: 011-23381012 / 23383712 ईमेल: hortcommissioner@gmail.com	सदस्य (पदेन)
9	डॉ. जे.पी. मिश्रा सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, नई दिल्ली दरभाष: 011-23096796 ईमेल: adviser.agri-pc@nic.in	सदस्य (पदेन)
10	श्री पावन के. बोरठाकूर अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-26513167 ईमेल: chairman@apeda.gov.in	सदस्य (पदेन)
11	श्रीमती पुष्पा सुब्रह्मण्यम् सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 दूरभाष: 011-26492476 ईमेल: secy.mofpi@nic.in	सदस्य (पदेन)
12	श्री बंसीलाल गुर्जर गांव लालघाटी, पोस्ट ऑफिस साबाखेडा, तहसील एवं जिला मंदसौर (मध्य प्रदेश) मोबाइल: 09425105258, 09425105648 ईमेल: gurjar.banshilal@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य

13	डॉ. संजय शर्मा करुण नर्सिंग होम, मंटेडी, अंबाला – 134003 (हरियाणा) मोबाइल: 09416028501, 07988661769, (फोन: 0171-2855001) ईमेल: sanjay65dr@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
14	श्री गैरी टी. हाओकिप एच-56, रिपब्लिक मॉल वेंग आइजवाल, मिजोरम – 796001 मोबाइल: 09436354457 ईमेल: garyhaokip@yahoo.co	गैर-सरकारी सदस्य
15	श्री राकेश कुमार शर्मा गांव बुधन (निचला), पोस्ट ऑफिस पैरविन, तहसील बरसार, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) मोबाइल : 09418600199 ईमेल: rakeshsharmaabvp@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
16	श्री एस.एन. राजन्ना सिंगानायकनाहल्ली येलकंका होबली, बैंगलोर-560064 (कर्नाटक) मोबाइल : 09845085779 ईमेल: snrajanna1960@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
17	डॉ. सुनील पारीक एसोसिएट प्रोफेसर (पीएचटी) कृषि और पर्यावरण विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) प्लॉट नं. 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल रेट, कुंडली, सोनीपत – 131028 (हरियाणा) मोबाइल : 09414821483, 07056721483 ईमेल: sunil_ciah@yahoo.co.in, spareekhort@gmail.com, sunilpareek.niftem@gmail.com, sunil.pareek@niftem.ac.in	गैर-सरकारी सदस्य
18	श्री हुकुमचंद पाटीदार गांव मानपुरा, तहसील असनवार, जिला झालावाड (राजस्थान) मोबाइल: 09461951154 ईमेल: organicfarmmanpura@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
19	श्री बाला शिव प्रसाद डी 2 / 224, गुडीसेट्लु गेट थुमनपल्ली पोस्ट, तहसील- होसुर, जिला- कृष्णागिरी, तमिलनाडु मोबाइल: 09095076347 ईमेल: balashivaprasath@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य

20	श्री जगदीश प्रसाद बैसवार गांव और पोस्ट— पूर्वी पारसी, रेणुसागर थाना—अनपरा, सोनभद्र (यूपी) मोबाइल: 8840088781, 9838187201 ईमेल: jagdishprashadbiashwar@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
21	श्री अमित सिंह चौहान ग्राम—बेलग, पोस्ट—झिकनीपुल, तहसील—चौपाली ज़ज़ला—शिमला, हिमाचल प्रदेश मोबाइल: 09654262690, 7018341590, 0177—2622772 ईमेल: amitchauhan417@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
22	श्री माणिक गंगाधर पाटील पोस्ट खेड़गांव, इरिगेशन कॉलोनी के पास गंगासागर बंगला, ताल—डिंडोरी जिला— नासिक (महाराष्ट्र) मोबाइल: 09225118679 ईमेल: mgsgrapes@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
23	श्री राजबीर सिंह प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम दूरभाष: 0124—2342992, ईमेल: md@nhb.gov.in	सदस्य सचिव (पदेन)

संलग्नक-III

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी हैं। श्री बी. श्रीनिवास और श्री राजबीर सिंह क्रमशः 01–11–2019 से 30–04–2020 और 01–05–2020 से 31–03–2021 के दौरान बोर्ड के प्रबंध निदेशक थे। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

31–03–2021 को स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के ब्यारे

क्र. सं.	पदनाम	वेतन स्तर एवं वेतन मैट्रिक्स		वर्तमान स्थिति		
		वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पदों की सं0	भरे गये पद	रिक्त पद
				कुल	40	26

समूह “क”

1.	प्रबंध निदेशक	14	144200–218200	1	—	1
2.	उप प्रबंध निदेशक	13–क	131100–216600	1	—	1
3.	निदेशक (कार्मिक)	12	78800–209200	1	—	1
4.	संयुक्त निदेशक	11	67700–208700	5	4	1
5.	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)	11	67700–208700	1	—	1
6.	उप निदेशक	10	56100–177500	30	21	9
7.	उप निदेशक (सूचना प्रणाली)	10	56100–177500	1	1	—
			कुल	40	26	14

समूह “ख”

1.	लेखा अधिकारी	7	44900–142400	1	1	—
2.	राजभाषा अधिकारी	7	44900–142400	1	1	—
3.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7	44900–142400	3	3	—
4.	तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर)	7	44900–142400	2	2	—
5.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	6	35400–112400	1	1	—
6.	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी	6	35400–112400	18	10	8
7.	प्रशासनिक अधिकारी	6	35400–112400	1	—	1
8.	वरिष्ठ लेखाकार	6	35400–112400	2	2	—
9.	बागवानी अधिकारी	6	35400–112400	17	—	17
10.	कनिष्ठ लेखाकार	6	35400–112400	2	2	—
			कुल	48	22	26

समूह "ग"

1.	निजी कार्यपालक	4	25500–81100	5	1	4
2.	कम्प्यूटर कार्यपालक	4	25500–81100	7	6	1
3.	अवर श्रेणी लिपिक	2	19900–63200	5	3	2
4.	हिन्दी टंकक	2	19900–63200	1	1	—
5.	चालक	2	19900–63200	3	—	3
6.	इलेक्ट्रोशियन	2	19900–63200	1	1	—
7.	संदेशवाहक / एमटीएस	1	18000–56900	40	35	5
8.	बड़र ग्राफटर	1	18000–56900	5	4	1
			कुल	67	51	16

ब्यौरे

क्र.सं.	समूह	स्वीकृत पद	भरे गये	रिक्त
1.	समूह "क"	40	26	14
2.	समूह "ख"	48	22	26
3.	समूह "ग"	67	51	16
	कुल	155	99	56

इसके अतिरिक्त, अस्थाई हैसियत के 18 संदेशवाहक / एमटीएस पे बैंड रु. 5200–20200 ग्रेड पे रु. 1800/- में नियोजित है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रों के नाम एवं पता
1	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म्यूनिसिपल स्टेडियम कॉम्प्लैक्स विजयवाड़ा – 520010 टेली / फैक्स: 0866–2473351 ई–मेल: ap.nhb@gov.in
2	असम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्बर हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी – 781005 टेली / फैक्स: 0361–2343719, 2340695 ई–मेल: assam.nhb@gov.in
3	बिहार	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं. 501, 502, 5वां तल, बोरिंग रोड, वर्मा सेंटर, पटना – 800001 टेली / फैक्स: 0612–2541218, 2541128 ई–मेल: bihar.nhb@gov.in
4	चंडीगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी.ओ.–85, द्वितीय तल, सैक्टर–40 सी चंडीगढ़ – 160047 टेली / फैक्स : 0172–2625249, 2625269 ई–मेल: chd.nhb@gov.in
5	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, निकट रोटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंधा, रायपुर – 492001 (छत्तीसगढ़) टेली / फैक्स: 0771–2423992 ई–मेल: cg.nhb@gov.in
6	दिल्ली	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19–22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली – 110011 टेली / फैक्स: 011–23097015, 23073019 ई–मेल: delhi.nhb@gov.in
7	गुजरात	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 416, देवानन्दन, विपरीत सन्यास आश्रम, इलिस ब्रिज, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380006 (गुजरात) टेली / फैक्स: 079–29705413, 26585413 ई–मेल: gj.nhb@gov.in
8	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार शिमला – 171002 टेलीफोन / फैक्स: 0177–2622908 / 2623801 ई–मेल: hp.nhb@gov.in

9	जम्मू व कश्मीर	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्प्लैक्स राजबाग श्रीनगर — 190008 टेली / फैक्स: 0191—2474349 (पीपी) ई—मेल: jk.nhb@gov.in
10	जम्मू व कश्मीर	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए—२, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लैक्स जम्मू— 180004 टेली / फैक्स: 0191—2474349, 2474112 ई—मेल: jk.nhb@gov.in
11	झारखण्ड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची—834008 टेली / फैक्स: 0651—2230132, 2233832 ई—मेल: jh.nhb@gov.in
12	कर्नाटक	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14 / 43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर — 560022 टेली / फैक्स: 080—23371935, 23374149 ई—मेल: ktk.nhb@gov.in
13	केरल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. यूआर—10, उप्पलम रोड, स्टेच्यू तिरुवनंतपुरम — 695001 टेली / फैक्स: 0471—2470505, 2470506 ई—मेल: kerala.nhb@gov.in
14	मध्यप्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आर—24, द्वितीय तल, निकट हिंदुस्तान टाइम्स एमपी नगर, जोन — 1, भोपाल — 462011 टेली / फैक्स: 0755—2761741 ई—मेल: mp.nhb@gov.in
15	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं० 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ्रूट मार्किट कॉम्प्लैक्स, सेक्टर—19, तुरमे वाशी नवी मुम्बई — 400703 टेली / फैक्स: 022—27830107 ई—मेल: mh.pune.nhb@gov.in
16	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 401, चतुर्थ तल, लोटस प्लाजा, निकट लक्ष्मी भवन, ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड, गोकुलपेठ, नागपुर — 440010 टेली / फैक्स: 0712—2525030, 2523110 ई—मेल: mh.ngp.nhb@gov.in

17	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंवार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक— 422003 टेली / फैक्स: 0253—2534558, 2533715 ई—मेल: mh.nsk.nhb@gov.in
18	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीएईआर बिल्डिंग, 132 / बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे —411007 टेली / फैक्स: 020—25528582 / 83 ई—मेल: mh.pune.nhb@gov.in
19	उडीसा	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन—1 / 7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने भुवनेश्वर — 751015 टेली / फैक्स: 0674—2558134, 2559620 ई—मेल: odisha.nhb@gov.in
20	पंजाब	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा— बागवानी निदेशालय, कमरा नं. 13, द्वितीय तल, खेती भवन, रणजीत एवेन्यू अमृतसर—143001 टेली / फैक्स: 0183—2500236
21	राजस्थान	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोदक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 एवं 17, नियर न्यू आतिश मार्किट शिंप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर — 302020 टेली / फैक्स: 0141—2399405, 2390818 ई—मेल: rj.nhb@gov.in
22	सिक्किम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चांग चूप भवन, निकट नायुमा टेलीविजन तिब्बत रोड, गंगटोक — 737101 टेली / फैक्स: 03592—208453, 220975 ई—मेल: sikkim.nhb@gov.in
23	तमिलनाडु	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मोडयूल नं. 37, द्वितीय तल, सिऱ्को रेडिमेड गारमेन्ट कॉम्प्लेक्स, इंडरिट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई—600032 टेली / फैक्स: 044—22501151 / 22500965 ई—मेल: tn.nhb@gov.in
24	तेलंगाना	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5—9—195, विलियम निवास चिराग अली लेन, एबीआईडीएस, हैदराबाद — 500001 टेली / फैक्स: 040—23200806, 23201140 ई—मेल: ts.nhb@gov.in

25	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा —बागवानी निदेशक 2, सपुत्र मार्ग, उद्यान भवन लखनऊ —226001 टेली / फैक्स: 0522—2623374 / 2202420, 4072096 ई—मेल: up.lko.nhb@gov.in
26	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उप निदेशक (बागवानी), उ. प्र. सरकार, एस—5 / 38—4, विंध्यावासणी नगर, माहावीर रोड, वाराणसी — 221002 मोबाइल: 9598638136, 8004560584 ई—मेल: up.var.nhb@gov.in
27	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा — क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली — सहारनपुर रोड, बड़ौत—250611 टेली / फैक्स: 01234—251157 ई—मेल: up.brt.nhb@gov.in
28	उत्तराखण्ड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नवीन सब्जी मण्डी स्थल, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, निरंजनपुर देहरादून — 248171 टेली / फैक्स: 0135—2761922, 2762767, 2725517 ई—मेल: uk.nhb@gov.in
29	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयुख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर—2, कोलकाता — 700091 टेली / फैक्स: 033—29861049, 23211259 ई—मेल: wb.nhb@gov.in

वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेखे



Speed Post

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: डी.जी.ए./सी.के.व्यय/SAR NHB/2020-21/2021-22/ 1952

दिन/Dated: 06.12.2021

सेवा मे,

सचिव,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलंग पांयें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

— हृष्टा —

महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2020-21 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु Managing Director, National Horticulture Board, Gurugram, Plot No. 85. Institutional Area, Sector 18, Gurugram, Haryana 122015 को प्रेषित की जाती है।

भवदीय,
प्रतिक्रिया
निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के तुलन—पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत की है। 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की 25 प्रचालन लेखांकन शाखा इकाईयाँ हैं जिसमें से 06 शाखा इकाईयों (चंडीगढ़, शिमला, कोलकाता, नागपुर, चैनई और त्रिवेन्द्रम) का वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था। ये वित्तीय विवरणियां राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मत प्रकट करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियम (ओचित्य एवं नियमित्ता) तथा दक्षता—सह—निष्पादन पहलूओं इत्यादि, यदि कोई हो, कि अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ पृथक्तः निरीक्षण रिपोर्टें / सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टें के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।
3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियाँ भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:-
 - i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं;
 - ii) इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन—पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
 - iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम द्वारा लेखाओं की समुचित बहियाँ तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि ये, ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
 - iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:
- क. **तुलनपत्र**
परिसंपत्तियाँ
अचल परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 8)
पूंजीगत कार्य प्रगति: 0

उपरोक्त में रा.बा.बो. मुख्यालय में सिविल और अन्य संबद्ध कार्यों (कार्यस्थल को फिर से डिजाइन, मरम्मत और पुनर्निर्माण) के संबंध में पार्टी को देय राशि ₹16.55 लाख शामिल नहीं है, भले ही काम प्रगति पर था और बिल भी मार्च 2021 में प्रस्तुत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूँजीगत कार्य प्रगति तथा वर्तमान देयताएं और प्रावधानों में ₹16.55 लाख तक कम दिखाया गया है।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची 24)

1. बोर्ड की नीति केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में निहित वित्तीय विवरणों के संकलन के निर्देशों के उल्लंघन में है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय विवरण प्रोटोकॉल के आधार पर तैयार किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप का पालन न करने के कारण खातों में ₹ 91.09 लाख की राशि का मार्च 2021 के वेतन का अप्रैल 2021 में भुगतान हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।
11. नोट में इस हद तक कमी है कि बोर्ड ने वर्ष 2020–21 से संबंधित भत्तों जैसे टीए, एलटीसी, बाल शिक्षा भत्ता आदि के लिए प्रावधान किया है लेकिन खातों में वर्ष 2021–22 में भुगतान किया गया है।

ग. सामान्य

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने सेवानिवृत्ति लाभों (ग्रेच्युटी और संचित अवकाश नकदीकरण) के प्रावधान के संबंध में लेखा नीति को प्रोटोकॉल आधार से बीमांकिक आधार पर बदल दिया। हालांकि, बोर्ड ने लेखांकन नीति में बदलाव का और लेखांकन नीति में परिवर्तन के प्रभाव का खुलासा नहीं किया है। इस प्रकार, खातों में नोट उस हद तक कम हैं।

घ. सहायता—अनुदान

कुल अनुदान ₹ 156.95 करोड़ (जिसमें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष ₹ 51.09 करोड़, वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त अनुदान ₹ 103.95 करोड़ और बोर्ड की विविध प्राप्तियां ₹ 1.91 करोड़ शामिल हैं), बोर्ड ने राशि ₹ 109.29 करोड़ का उपयोग किया और 31–03–2021 को अव्ययित शेष ₹ 19.93 करोड़ को छोड़कर ₹ 27.73 करोड़ सरकार को वापिस किए गए हैं।

ङ. प्रबंधन पत्र

वे कमियाँ जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसके बारे में उपचारात्मक / सुधार कार्रवाई के लिए अलग–से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से बोर्ड के प्रबंधन की जानकारी में लाया गया है।

- v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुसार हैं।
- vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढित उक्त वित्तीय विवरणियां, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सत्य और सही मत देते हैं:
- क) जहां तक 31 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के कार्यों की स्थिति का तुलन–पत्र से संबंध है और
- ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से
₹ 0/-

स्थान : चण्डीगढ़

दिनांक: 06–12–2021

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुबंध

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम की वर्ष 2020–21 की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा किया गया था। नागपुर शाखा कार्यालय का ऑडिट नहीं हुआ।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**
निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आंतरिक नियंत्रण को अपर्याप्त माना गया है:
 - बोर्ड ने अपना लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं किया है।
 - बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के खंड 10 (i) के अनुसार, प्रबंध समिति को प्रत्येक तीन माह में और अन्यथा अध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति द्वारा यथा निर्धारित किए जाने वाले स्थान पर कम से कम एक बार बैठक अवश्य करनी चाहिए। वर्ष 2020–21 के दौरान, प्रबंध समिति की केवल एक बैठक (15. 03.2021) आयोजित की गई थीं जोकि उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन है।
 - कई जमानत राशि लंबे समय से लंबित थीं।
 - जीएफआर 211 (ii)(क) के अनुसार, अचल संपत्ति रजिस्टर को फॉर्म जीएफआर 22 में बनाए रखा जाना है। यद्यपि अचल संपत्ति रजिस्टर चंडीगढ़ और शिमला शाखा कार्यालयों द्वारा बनाए रखा गया है, लेकिन उन्हें उचित प्रारूप में नहीं बनाया गया है।
 - चंडीगढ़, शिमला और कोलकाता, चेन्नई और त्रिवेंद्रम शाखा कार्यालयों के संबंध में अनुपयोगी सामग्री नीलामी के लिए पड़ी थी।
 - चेन्नई शाखा कार्यालय द्वारा बैंकों से ₹24.31 करोड़ की सब्सिडी के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।
- अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन**
रा.बा.बो. मुख्यालय के संबंध में 31 मार्च 2021 को अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन जून / जुलाई 2021 के दौरान किया गया था और पुस्तकालय पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन नवंबर 2020 में किया गया था। अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा सितंबर 2021 में किया गया था लेकिन पुस्तकालय पुस्तकों के अंतिम प्रत्यक्ष सत्यापन की अवधि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वर्ष 2018–19 के बाद शिमला शाखा कार्यालय द्वारा अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। वर्ष 2020–21 के दौरान कोलकाता शाखा कार्यालय द्वारा अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नागपुर शाखा कार्यालय द्वारा किया गया था।
- वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन**
बोर्ड ने 31 मार्च 2021 तक एक ऑनलाइन स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि, वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। वर्ष 2018–19 के बाद शिमला शाखा कार्यालय द्वारा वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। वर्ष 2020–21 में चंडीगढ़ और कोलकाता शाखा कार्यालयों द्वारा वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। चंडीगढ़ शाखा कार्यालय के संबंध में वस्तुसूची के अंतिम प्रत्यक्ष सत्यापन की अवधि उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
- सांविधिक बकाया**
बोर्ड अविवादित सांविधिक देय राशि नियमित रूप से जमा कर रहा था। एनएचबी शिमला शाखा कार्यालय ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1 के उल्लंघन में वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 3.21 लाख के कार्यालय किराए पर टीडीएस नहीं काटा है।

४०/-
निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुरुग्राम

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र / पूंजी निधि तथा देयताएँ			
समग्र / पूंजी निधि	1	1,82,99,95,533	2,00,11,23,967
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
अभियान / संचयी निधि	3	1,13,79,578	1,06,44,752
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थागित साख देयताएँ	6	-	-
चालू देयताएँ तथा प्रावधान	7	37,91,75,143	43,35,28,370
योग		2,22,05,50,254	2,44,52,97,089
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	1,97,30,135	2,11,08,522
निवेश –अभियान / संचयी निधि से	9	-	-
निवेश—अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगी	11	2,20,08,20,119	2,42,41,88,567
विविध खर्च (बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया)		-	-
योग		2,22,05,50,254	2,44,52,97,089
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लेखों पर आकस्मिक देयताएँ तथा टिप्पणियां	24 25		

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुरुग्राम

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
विविध सेवाओं से आय	12	1,37,66,684	93,55,761
अनुदान / सहायिकी	13	1,01,74,60,000	27,50,00,000
शुल्क / अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय	15	-	-
(अभिचिह्नित / संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय)			
रॉयलटी, प्रकाशन आदि से आय	16	930	375
अर्जित ब्याज	17	11,41,88,052	15,53,48,519
अन्य आय	18	18,53,388	93,64,973
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) तथा डब्ल्यूआईपी	19	-	-
योग (क)		1,14,72,69,054	44,90,69,628
व्यय			
स्थापना व्यय	20	8,71,67,291	9,92,05,411
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि	21	2,23,58,293	2,34,10,765
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	94,32,19,979	1,21,57,54,212
ब्याज	23	-	-
आवेदन निधि और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	12A	2,81,21,777	2,84,13,368
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध जोड़ – अनुसूची 8 के अनुसार)	8	25,38,114	38,08,288
योग (ख)		1,08,34,05,454	1,37,05,92,043
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क–ख)			
– आवेदन तथा प्रक्रिया शुल्क की लागत के अलावा निधियां हेतु		7,82,18,693	(90,24,64,808)
– आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क की लागत		(1,43,55,093)	(1,90,57,607)
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग)		-	(1,18,74,630)
आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर राशि से इतर के लिए समग्र / पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष / (घाटा)		7,82,18,693	(89,05,90,178)
आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क राशि के लिए समग्र / पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष / (घाटा)		(1,43,55,093)	(1,90,57,607)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	24 25		

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं मुगतान (राशि रुपयों में)



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

प्राप्तियाँ	2020-21		2019-20		2020-21 वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष	2019-20 वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	मुगतान	1. व्यय (मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय के बजट से)		
1. प्रारम्भिक शेष						
क.) हाथ में रोकड़	90,295	66,370	क.) स्थापना व्यय – मुद्यालय		10,73,89,500	8,38,59,880
ख.) बैंक शेष			ख.) प्रशासनिक व्यय – मुद्यालय			2,05,24,229
1.) चालू खाते में	-	-		रा.बा.बो. की योजनाएं		2,38,40,085
2.) जमा खाते में	1,06,52,98,777	1,00,19,00,000	2. विशिष्ट योजनाओं की निधियों के समक्ष किए गये मुगतान	उत्तर-पूर्वी राज्यों के		
3.) बचत खाते में	71,81,84,349	1,78,41,45,757		उत्तर-पूर्वी राज्यों		
4.) जमा खाते में (प्रक्रिया शुल्क/ आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर खाते की लागत)	35,82,00,000	34,92,00,000		अलावा		
2. प्राप्त अनुदान			1) उत्तराधन एवं फसल कठाई उपरात प्रबंधन के महियम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास			
क.) भारत सरकार से			– सहायिकी	51,39,78,050	80,19,500	52,19,97,550
1.) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए			– विधिक एवं व्यावसायिक खर्च	4,71,000	29,25,73,800	51,59,26,053
– रावाहो के बजट से	1,01,74,60,000	27,50,00,000	2) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों तथा संग्रहगारों के निर्माण / आधुनिकीकरण / विस्तारण के लिए पूर्ण निवेश सहायिकी	4,71,000	2,90,80,000	3,55,500
2.) एनवीएम की योजनाओं के लिए			3) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रोत्तोगती विकास एवं हस्तांतरण	52,84,043	1,50,000	4,71,000
– टीएसजी घटक के लिए	2,00,00,000	1,50,00,000	4) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा	1,90,744		32,16,53,800
3) एनवीएम की योजनाओं के लिए	20,00,000		5) बागवानी सर्कन सेवाएं / विशेषज्ञ सेवाएं	1,34,41,430		57,79,13,800
4.) राष्ट्रीय केसर मिशन योजनाओं के लिए	.	.	6) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय क. स्थापना व्यय – केंद्रों ख. प्रशासनिक व्यय – केंद्रों	5,45,18,925 2,11,43,969		4,71,000
			कुल	90,16,01,961	3,72,49,500	3,55,500

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2020-21	2019-20	भुगतान	वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष	2019-20
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान			
(ए) राज्य सरकार से	-		7) चीन में चीन गार्डन के लिए व्यय		34,26,391	68,55,715
3. निम्नवर्त निवेशों पर आय			8) राष्ट्रीय बन्दु मिशन (समर्थन सेवाएं)		6,81,733	14,50,183
क) अभियानिकाता / संचयी निधि	-					
(ए) स्वामित्व निधिया (अन्य निवेश)	-		9) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (टैपसजी)		1,93,70,726	1,97,45,834
4. प्राप्त व्याज			10) राष्ट्रीय केसर मिशन		14,40,462	32,02,866
क) बैंक जमा और बचत बैंक खातों के लिए						
— रा.बा.बो. निधिया	8,87,17,264	12,60,96,385	11) एमआरफपीआई		(42)	14
— आवेदन निधियां	2,63,20,415	2,73,66,328				
— एनएचएम निधियां	3,51,023	2,71,385	3. किए गये निवेश एवं जमा			
— एनवीएम निधियां	47,020	59,471	क) अभियानिकाता / बंदोबस्ती निधियों से			
— एमआरफपीआई निधियां	29	47	ख) स्वामित्व निधियों से (अन्य निवेश)			
— राष्ट्रीय केसर मिशन निधियां	1,77,292	4,29,794				
			4. अचल परिसंपत्तियों एवं प्रगतिधीन कार्य पर पूँजीगत व्यय			
(ए) ऋण, अग्रिम आदि			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद /संवर्धन			
5. अन्य आय (विविहित करे)			1. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय—मुख्यालय के बजट से		4,38,983	28,55,292
आईआई से किराया	17,55,144	4,33,600	2. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय—केन्द्र के बजट से		8,25,072	8,02,805
आयकर की वापिसी	-					
आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत	1,37,66,684	93,55,761	ख) प्रगतिधीन कार्य पर पूँजीगत व्यय	-		
विविध प्राप्तियां	33,56,166	90,40,147				
जमा की गई जमाननत राशि – राबबो	12,25,000	2,50,000	5. अधिशेष धन/ऋण की वापसी			
जमा की गई जमाननत राशि – केसर पार्क	4,00,000	-	क) प्रात भोजन का			
प्रतिमूलि जमा	-	2,18,560	— कृषि एवं सहकारिता विभाग — आंतरिक ग्रोदमवन से		27,69,71,030	10,43,29,649
6. उधार ली गई राशियां			— सहायता—अनुदान से		3,30,312	5,05,923
			— एमआरफपीआई को		1,456	
			ख) राज्य सरकार को			89,56,000
			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को			

(राशि रूपयों में)

प्राप्तियां	2020-21		2019-20		2020-21 वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	भुगतान		
7. अन्य प्राप्तियां (ब्लौरे दे)						
क) अधियां की वस्तुओं (ब्लौरे दे)	17,08,029		6. बैंक द्वारा छोत पर काटा गया टीडीएस		54,41,384	93,25,443
7. अन्य भुगतान (निमिष्ट)						
ख) राखावे योजनाओं के तहत ऋण की करुणी ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों जिन्हें पिछले वर्ष में निधियां जारी की गई थीं से वापस प्राप्त अवधित निधियां — उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए — उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	1,18,74,630		स्टाफ को अग्रिम वापिस की गई जमानत राशि— राखावे वापिस की गई जमानत राशि—केसर पार्क पूरदत व्यय एनसीसीटी, डीडब्लूडी एवं नॉवोड बोर्ड की ओर से व्यय		4,15,000 4,00,000 4,41,281 43,61,946	4,52,337 — 7,10,000 11,77,188 16,88,950
घ) अन्य सो वस्तुओं	7,73,035	3,42,45,136	सुख्खा जमा राशि		2,82,610	-
8. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी— रा.बा.बा.	2,79,72,764	12,62,338	प्राय राशि		64,190	14,687
9. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी (आवेदन शुल्क)	93,01,295		8. आवेदन प्रपत्र और योजना बारिशर की लागत से भुगतान — संविदागत भाटा एंट्री आपेटरों को भुगतान		1,34,32,819	1,20,64,997
10. नॉवोड बोर्ड	11,33,036	24,30,681	— कोल्ड स्टोरेज संवीक्षा शुल्क — विशेषज्ञों का चात्रा व्यय एवं परामर्श शुल्क — रा.बा.बो. प्रकाशनों हेतु भुगतान		11,03,300 17,592 — 38,81,897 2,35,720 69,78,561 6,14,491	18,67,985 3,36,929 1,04,270 25,75,486 1,76,117 1,08,13,964 4,73,620
9. अंत शेष			— वेतन एवं भरते (30 प्रतिशत) — पट्टने की दुकानों के लिए भुगतान			
			क) हाथ में रोकड़ मुख्यालय पर राखावो केंद्रों पर		23,516 45,360 68,876	90,295

(राशि रूपयों में)

प्राप्तिया	2019-20		2020-21		वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	मुगातान	ख) बैंक शेष		
			1) चालू खातों में 2) जमा खातों में (राशबो की आंतरिक प्रोद्भुत राशि) 3) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क राशि/ आवेदन प्रपत्र एवं योजना बाउशर की लागत) 4) बचत खातों में — राशबो, केन्द्री पर — अग्रदाय राशि — राशबो, केन्द्री पर — सहायिकी राशि — राशबो, केन्द्री पर — आवेदन प्रपत्र एवं योजना बाउशर की लागत — मुख्यालय पर — राशबो, योजनाओं एवं आंतरिक प्रोद्भूत हेतु — आवेदन प्रपत्र एवं योजना बाउशर की लागत के लिए — एनएचएम योजना के लिए — एनवीएम योजना के लिए — एमओएफपीआई फंड — राष्ट्रीय केसर मिशन के लिए — एनएचएम दिल्ली केंद्र के लिए — एनवीएम दिल्ली केंद्र के लिए			
					41,79,00,000	35,82,00,000
					1,17,41,00,000	1,06,52,98,777
योग	3,36,05,44,804	3,64,86,46,391	योग			3,36,05,44,804
						3,64,86,46,391

प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

वर्ष 2020–21 के लिए स्थापना व्यय

अनुसूची-1

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2020–21	2019–20
1	ईपीएफ बोर्ड की भागीदारी	1,17,48,028	1,28,88,229
2	छुट्ठी नकदीकरण	1,35,81,072	36,63,490
3	छुट्ठी यात्रा रियायत दावे	2,22,484	6,70,299
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	61,66,487	53,19,334
5	वेतन एवं भत्ते	5,52,97,701	5,51,87,513
6	कर्मचारी कल्याण	4,14,894	5,35,672
7	बोनस व अन्य भत्ता	30,000	36,000
8	बच्चों का शिक्षा भत्ता	7,83,000	10,89,938
9	वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान	1,91,45,834	44,69,405
	कुल	10,73,89,500	8,38,59,880

वर्ष 2020–21 के लिए प्रशासनिक व्यय

अनुसूची-2

(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2020–21	2019–20
1	विद्युत और जल व्यय	15,73,987	17,43,608
2	कम व अधिक	0	0
3	जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण	6,23,227	9,30,125
4	बीमा	21,864	6,563
5	मरम्मत एवं रखरखाव	9,42,938	9,66,427
6	सुरक्षा प्रभार तथा गृह—व्यवस्था व्यय	67,53,723	65,19,398
7	वाहन का चालन तथा अनुरक्षण	29,713	46,208
8	डाक, दूरभाष ओर संचार प्रभार	5,85,772	5,64,337
9	मुद्रण तथा स्टेशनरी	13,37,108	19,62,454
10	वाहन व यात्रा	22,34,169	53,79,081
11	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	16,133	53,087
12	कार्यालय व्यय	5,02,326	3,61,294
13	बैठक/सत्रकार पर व्यय	4,05,437	2,36,215
14	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/शुल्क	7,01,055	9,49,910
15	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	19,66,770	20,29,019
16	विज्ञापन तथा प्रचार	4,51,572	3,35,005
17	फोटोकापी प्रभार	15,02,738	14,65,495
18	संपत्ति कर	1,96,020	1,96,020
19	कोविड 19 व्यय	3,07,899	-
20	राजभाषा संवर्धन व्यय	3,71,778	95,839
	कुल	2,05,24,229	2,38,40,085

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुरुग्राम

31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियाँ

अनुसूची 1

(राशि रुपयों में)

समग्र / पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष				
क. प्रक्रियां शुल्क और आवेदन प्रपत्र लेखा के अलावा निधियों हेतु	1,56,33,91,005		2,60,74,69,539	
जोड़े / (घटाएं) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	7,82,18,693		(89,05,90,178)	
जोड़े: पुराने चैकों की वापिसी / (निरस्त)	1,16,234		-	
जोड़े: पूर्व वर्ष का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (केन्द्रों में)	-		-	
जोड़े: पूर्व वर्ष का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (मुख्यालय में)	23,07,186		3,42,45,136	
घटाएं: भारत सरकार को वापिस की गई निधि	22,11,31,136		10,43,29,649	
घटाएं: आयकर / टीडीएस वापिसी		-	-	
घटाएं: अन्य वसूली योग्य		-	-	
घटाएं: डीएसी एंड एफडब्लू को देय ब्याज	1,62,84,318		5,58,39,894	
घटाएं: प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	2,58,90,218	1,38,07,27,446	2,75,63,948	1,56,33,91,005
ख. प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क लेखा हेतु	43,77,32,962		42,92,26,621	
जोड़ें: आयकर / टीडीएस वापिसी		-	-	
जोड़े: अन्य वसूली योग्य		-	-	
जोड़ें: प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित ब्याज	2,58,90,218		2,75,63,948	
जोड़े / (घटाएं) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	(1,43,55,093)	44,92,68,087	(1,90,57,607)	43,77,32,962
वर्ष के अंत में शेष		1,82,99,95,533		2,00,11,23,967

स्थान : गुरुग्राम

हस्ता. /—

हस्ता. /—

हस्ता. /—

दिनांक : 23.06.2021

प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

लेखा अधिकारी

अनुसूची 2

(राशि रूपयों में)

आरक्षित तथा अधिशेष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. आरक्षित पूँजी :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती		
	-	-
2. पूर्णमूल्यांकन आरक्षित :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती		
	-	-
3. विशेष आरक्षित :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती		
	-	-
4. सामान्य आरक्षित :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती		
	-	-
योग	-	-

स्थान : गुरुग्राम

हस्ता. /—

हस्ता. /—

हस्ता. /—

दिनांक : 23.06.2021

प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

लेखा अधिकारी

अनुसूची ३

(राशि रूपयों में)

अभिविहिनत / संचयी निधियां	निधि—वार ब्यौरा			योग		
	एनएचएम योजना	एनबीएम योजना	राष्ट्रीय केसर मिशन	एमएफपीआई योजना	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	4481574	526050	5635734	1394	1,06,44,752	28671755
निधियों का प्रारंभिक शेष— ईएमडी					-	7,10,000
ख. निधियों में वृद्धि					-	-
1. अनुदान/चंदे	2,00,00,000	20,00,000	-	-	2,20,00,000	1,50,00,000
2. निधियों से आय (बचत खाते पर ब्याज)	3,45,822	51,616	1,62,014	21	5,59,473	8,33,817
योग (क+ख)	2,48,27,396	25,77,666	57,97,748	1,414	3,32,04,226	4,52,15,572
ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त						
उपयोग/व्यय						
1. पूँजीगत व्यय :						
— अचल परिसंपत्तियां	4,92,572	-	-	-	4,92,572	29,36,700
— परियोजना के लिए दिया गया अनुदान	-	-	-	-	-	-
	4,92,572	-	-	-	4,92,572	29,36,700
2. राजस्व व्यय :						
— वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
— बैंक शुल्क	-	-	118	(42)	76	14
— अन्य प्रशासनिक खर्च — टीएसजी	1,88,78,154	6,81,733	14,40,344	-	2,10,00,231	2,14,62,183
— वापिस की गई ईएमडी	-	-	-	-	-	7,10,000
— एमएफपीआई/एचएमएनईएच/डीएसी	2,70,841	59,471	-	1,456	3,31,768	94,61,923
को वापिसी						
योग (ग)	1,91,48,995	7,41,204	14,40,462	1,414	2,13,32,075	3,16,34,120
कुल योग	1,96,41,567	7,41,204	14,40,462	1,414	2,18,24,647	3,45,70,820
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)	51,85,830	18,36,462	43,57,286	-	1,13,79,578	1,06,44,752

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी



अनुसूची 4

(राशि रूपयों में)

प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		—		—
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		—		—
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		—		—
ख. प्रोद्भूत ब्याज तथा देय		—		—
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण		—		—
— प्रोद्भूत ब्याज तथा देय		—		—
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		—		—
— प्रोद्भूत ब्याज तथा देय		—		—
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		—		—
6. डिवेंचर तथा बांडस		—		—
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		—		—
योग		—		—

अनुसूची 5

(राशि रूपयों में)

अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार	—			—
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		—		—
3. वित्तीय संस्थाएं				
क. सावधि ऋण		—		—
ख. प्रोद्भूत ब्याज तथा देय		—		—
4. बैंक :				
क. सावधि ऋण		—		—
— प्रोद्भूत ब्याज तथा देय		—		—
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		—		—
— प्रोद्भूत ब्याज तथा देय		—		—
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया		—		—
6. डिवेंचर तथा बांडस		—		—
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		—		—
योग	—			—

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एवओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

अनुसूची 6

(राशि रूपयों में)

आस्थगित क्रेडिट देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. पूँजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियां के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां	-	-
ख. अन्य	-	-
योग	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 7

(राशि रूपयों में)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां		
2. विविध लेनदार :		
क. सामान हेतु	-	-
ख. अन्य	-	-
3. अग्रिम प्राप्ति		
4 निम्न पर प्रोदभूत व्याज किंतु देय नहीं		
क. प्रतिभूत ऋण/उधारियां	-	-
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधारियां	-	-
	-	-
5. सांविधिक देयताएं :		
क. अतिदेय	-	-
ख. अन्य	-	-
	-	-
6. अन्य वर्तमान देयताएं	2,51,70,669	6,01,84,854
योग (क)	2,51,70,669	6,01,84,854
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु		
2. उपदान	9,60,53,863	10,11,32,758
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-
4. सचित छुट्टी/नकदीकरण	6,35,01,029	7,77,61,176
5. व्यापार वारंटी/दावे		-
6. अन्य—संदिग्ध ऋण	19,44,49,582	19,44,49,582
योग (ख)	35,40,04,474	37,33,43,516
योग (क+ख)	37,91,75,143	43,35,28,370

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी



अनुसूची-8

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम 31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियाँ

(राशि रूपयों में)

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक
	मूल्यहास की दर	वर्ष के आसम में लागत 30 सितंबर से पूर्व	वर्ष के दौरान वर्धन 30 सितंबर के बाद	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारम्भ में लागत	कटौतियां/समायोजन	
	क. अचल परिसंपत्तियाँ	(1) अनुदानों से					
भूमि :							
क. पूर्ण स्वामित्व	31,39,008	-	-	31,39,088	-	-	31,39,088
ख. पट्टा धारी	-	-	-	-	-	-	-
भवन :	-	-	-	-	-	-	-
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	2,28,71,006	-	2,28,71,006	1,93,69,552	3,50,145	1,97,19,697
ख. पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व पलेट / परिषेक्ट्र	-	-	-	-	-	-	-
घ. भूमि के सुपरढांचे	10%	1,62,742	-	1,62,742	1,36,959	2,578	1,39,537
संयक्रमणीय एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-
वाहन	15%	8,22,181	-	8,22,181	6,57,328	24,728	-
फर्नीटर तथा जुड़नार	10%	1,83,38,096	1,16,171	2,51,092	6,221	1,29,10,750	5,66,859
कार्यालय उपकरण	15%	22,17,678	2,00,767	3,14,369	28,467	2,26,64,347	26,447
कम्प्यूटर उपकरण	40%	1,94,70,402	35,489	2,64,128	-	1,97,70,019	1,72,50,751
पुस्तकालय पुस्तकें	40%	22,72,759	-	84,539	225	23,57,073	21,95,161
ट्यूबेल तथा जल आपूर्ति	15%	85,040	-	-	85,040	84,853	27
योग		8,93,38,902	3,52,427	9,14,128	34,913	9,05,70,634	7,02,15,027
(2) प्रक्रिया शुल्क और आवेदन प्रपत्र तथा स्क्रीम ब्राउज़र शुल्क राशि से					26,65,712	32,413	7,28,48,326
भवन :							
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	10%	22,96,404	-	-	22,96,404	16,66,044	63,036
ख. पट्टे वाली टुकानों पर		25,34,730	-	1,04,326	24,30,404	14,14,734	(2,84,314)
सोलर पैनल	40%	26,02,548	-	-	26,02,548	23,68,349	93,680
योग		74,33,682	-	1,04,326	73,29,356	54,49,127	(1,27,598)
वर्तमान वर्ष का योग	9,67,72,674	3,52,427	9,14,128	1,39,239	9,78,99,990	7,56,64,154	32,413
पिछला वर्ष		9,35,34,204	20,66,080	12,68,563	96,173	7,19,46,997	38,08,288
ख. पूंजी कार्य प्रगति पर		-	-	-	-	-	-
योग		9,67,72,674	3,52,427	9,14,128	1,39,239	9,78,99,990	7,56,64,154
					25,38,114	32,413	7,81,69,855
							1,97,30,135
							2,11,08,521
							2,15,87,207
							-
							2,11,08,522

अनुसूची 9

(राशि रूपयों में)

निर्दिष्ट / संचयी निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर तथा बंध—पत्र	—	—
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	—	—
योग	—	—

अनुसूची 10

(राशि रूपयों में)

अन्य निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर तथा बंध—पत्र	—	—
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम	—	—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	—	—
योग	—	—

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

अनुसूची 11

(राशि रूपयों में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसम्पत्तियां		
1. वस्तु सूचियां :		
क. भंडार एवं कल पुर्जे	4,06,878	7,40,357
ख. हस्तगत स्टांप	-	-
ग. व्यापार में स्टॉक	-	-
— तैयार सामान	-	-
— कार्य प्रगति पर	-	-
— कच्चा माल	-	4,06,878
		-
2. विविध देनदार :		
क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया	-	-
ख. अन्य		-
		-
3. हस्तगत नगदी शेष (चैक / ड्राफट आदि सहित)	68,876	90,295
4. बैंक शेष		
क. अधिसूचित बैंकों के पास :		
— चालू खातों में		-
— जमा खातों में		
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउशर की लागत	41,79,00,000	35,82,00,000
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	1,17,41,00,000	1,06,52,98,777
— बचत खातों में (मुख्य कार्यालय)	35,15,08,931	70,64,93,520
— बचत खातों में — अग्रदाय खाता (केन्द्रों)	90,32,010	1,15,03,989
— बचत खाते में — सहायिकी खाता (केन्द्रों)	12,218	1,46,707
— बचत खाते में—आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम	665	1,95,25,53,825
ब्राउशर की लागत (केन्द्रों)		40,134
ख. गैर अधिसूचित बैंकों के पास :		2,14,16,83,126
— चालू खातों में		-
— जमा खातों में		-
— बचत खातों में		-
		-
5. डाक घर बचत खाता	-	-
योग (क)	-	1,95,30,29,579
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां		-
1. ऋण और अग्रिम		
क. स्टाफ	11,39,977	28,49,194
ख. निकाय के समान क्रियाकलापों / उद्देश्यों में रत अन्य निकाय	4,970	14,687
ग. अन्य : बोर्ड की योजनाओं के तहत उधार ऋण		
— अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-	-
— संदिग्ध	17,18,79,681	17,18,79,681
		17,30,24,628
		17,47,43,561

अनुसूची 11

(राशि रूपयों में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां क. पूँजी खाते में	-	-
ख. पूर्व भुगतान	4,56,776	4,03,194
ग. जमा व वसूली योग्य	65,44,258	29,29,976
	70,01,034	33,33,170
3. अर्जित आय:		
क. निर्दिष्ट / संचयी निधि से निवेश पर	-	-
ख. एफडीआर निवेश पर		
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउशर की लागत	9,86,460	11,86,454
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	1,62,61,754	1,87,84,989
ग. बचत खातों पर		
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउशर की लागत	91,880	4,02,066
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	14,26,678	37,76,380
एनएचएम का	30,154	35,355
एनबीएम का	7,831	3,235
राष्ट्रीय केसर मिशन	19,245	34,523
एमओएफपीआई		8
घ. उधार ऋणों पर		
— अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-	-
— संदिग्ध	2,25,69,901	2,25,69,901
(अप्राप्त बकाया आय सहित)		
	4,13,93,902	4,67,92,910
4. प्राप्ययोग्य क्लेम (ब्याज और किराये पर बैंक द्वारा छोत पर कर कटौती)	2,63,70,975	5,68,05,147
योग (ख)	24,77,90,540	28,16,74,789
योग (क+ख)	2,20,08,20,119	2,42,41,88,567

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /-

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /-

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /-

लेखा अधिकारी



31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियाँ

अनुसूची 12

(राशि रुपयों में)

बिक्री / सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय :		
क. तैयार माल की बिक्री	-	-
ख. कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग. स्क्रेप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय :		
क. प्रक्रिया शुल्क	-	-
ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत	1,37,66,684	93,55,761
योग	1,37,66,684	93,55,761

अनुसूची 12 क

(राशि रुपयों में)

आवेदन निधि और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	2,81,21,777	2,84,13,368
योग	2,81,21,777	2,84,13,368

अनुसूची 13

(राशि रुपयों में)

अनुदान / सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार योजनागत व्यय		
एनएचबी बजट से	1,01,74,60,000	27,50,00,000
गैर योजनागत व्यय	-	-]
	1,01,74,60,000	27,50,00,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)	-	-
3. सरकारी एजेंसियाँ	-	-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
योग	1,01,74,60,000	27,50,00,000

अनुसूची 14

(राशि रुपयों में)

शुल्क / अभिदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / अभिदान	-	-
3. संगोष्ठी / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
योग	-	-

अनुसूची 15
(राशि रूपयों में)

निवेशों से आय (निधियों में अंतरित अभिचिन्हित / संचयी निधियों से निवेश पर आय)	अभिचिन्हित निधि से निवेश		निवेश—अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बंध-पत्रों / डिबेंचरों से	-	-	-	-
ग. अन्य (बैंकों में सावधिक जमा)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों से	-	-	-	-
ख. म्यूचअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
अभिचिह्नित / संचयी निधियों में अंतरित	-	-	-	-

अनुसूची 16
(राशि रूपयों में)

रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रकाशनों से आय	930	375
2. रॉयल्टी से आय	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
योग	930	375

अनुसूची 17
(राशि रूपयों में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. मियादी जमा पर :		
क. अनुसूचित बैंकों से (बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस रु. 67,06,214/- सहित)	8,93,90,565	9,28,19,749
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग. संस्थानों से	-	-
घ. अन्य	-	8,93,90,565
2. बचत खातों पर :		
क. अनुसूचित बैंकों से	1,82,62,662	6,25,19,524
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग. डाक घर बचत खातों से	-	-
घ. अन्य — केन्द्रों पर	-	1,82,62,662
3. ऋणों पर :		
क. कर्मचारियों / स्टाफ से	4,181	9,246
ख. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से वसूली योग्य सेवा शुल्क	.	.
ग. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क	.	.
	4,181	9,246
4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज	65,30,644	-
योग	11,41,88,052	15,53,48,519

अनुसूची 18

(राशि रुपयों में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क. स्वयं की परिसंपत्तियां	-	-
ख. अनुदानों से अभिग्रहित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
2. प्राप्त किराया	17,55,144	3,25,200
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	98,244	52,880
5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार/दंड ब्याज		89,86,893
6. अन्य प्राप्ति	-	-
योग	18,53,388	93,64,973

अनुसूची 19

(राशि रुपयों में)

तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी/ (कमी) तथा कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. अंतिम स्टॉक		
क. तैयार माल		
ख. कार्य प्रगति पर	-	-
2. घटाएँ : प्रारम्भिक स्टॉक		
क. तैयार माल		
ख. कार्य प्रगति पर	-	-
शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(1-2)	

अनुसूची 20

(राशि रुपयों में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन एवं भत्ते	5,40,60,783	5,59,99,479
ख. अन्य भत्ते तथा बोनस	77,62,027	69,69,572
ग. भविष्य निधि में अंशदान	1,17,48,028	1,28,88,229
घ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय	4,17,378	5,33,488
ङ. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ	1,31,79,075	2,28,14,643
योग	8,71,67,291	9,92,05,411

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता./-

प्रबंध निदेशक

हस्ता./-

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता./-

लेखा अधिकारी

अनुसूची 21

(राशि रूपयों में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. विद्युत तथा ऊर्जा	16,22,747	17,34,103
ख. जनरेटर चालन तथा रखरखाव	6,57,117	9,30,125
ग. बीमा	21,910	21,801
घ. मरम्मत एवं अनुरक्षण	10,33,382	9,65,461
ड. सुरक्षा प्रभार तथा गृह व्यवस्था पर व्यय	73,08,399	65,19,398
च. वाहन चालन तथा अनुरक्षण	29,226	69,850
छ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	6,02,362	5,83,252
ज. मुद्रण तथा स्टेशनरी	16,56,657	14,68,330
झ. यात्रा तथा वाहन व्यय	22,37,463	53,87,706
ज. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	16,285	52,206
ट. कार्यालय व्यय	4,97,876	3,65,744
ठ. बैठक / सत्कार संबंधी व्यय	4,04,321	2,40,525
ड. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / शुल्क	7,01,055	9,49,910
ढ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	26,33,830	20,29,019
ण. विज्ञापन और प्रचार	4,51,572	3,35,005
त. फोटोकापी प्रभार	16,08,394	14,65,495
थ. संपत्ति कर	1,96,020	1,96,020
द. सदस्यता शुल्क	-	-
ध. पुस्तकें और पत्रिकाएं	-	975
न. राजभाषा संवर्धन व्यय	3,71,778	95,839
प. कोविड-19 व्यय	3,07,899	-
योग	2,23,58,293	2,34,10,765

अनुसूची 22

(राशि रूपयों में)

अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. संस्थानों / संगठनों को दिए गए अनुदान		
ख. संस्थानों / संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु)		
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	51,39,78,050	50,82,70,053
—उदार ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय	4,71,000	3,55,500
2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	29,25,73,800	54,39,13,800
3) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास / संवर्धन	52,84,043	1,66,49,101
4) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा	1,90,744	-
5) बागवानी संवर्धन सेवाएं	1,39,84,030	34,59,459
6) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय		
क. स्थापना व्यय — केन्द्र	5,45,18,925	6,13,86,805
ख. प्रशासनिक व्यय — केन्द्र	2,15,43,496	2,86,44,671
7) बीजिंग चीन में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पर खर्च व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिविकम सहित हेतु)	34,26,391	68,55,715
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	80,19,500	76,56,000
2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	2,90,80,000	3,40,00,000
3) बागवानी के संवर्णन हेतु प्रौद्योगिकी विकास / हस्तांतरण	1,50,000	94,32,19,979
योग	94,32,19,979	45,63,108
		1,21,57,54,212

स्थान : गुरुग्राम

हस्ता. /—

दिनांक : 23.06.2021

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं :—
जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेंदारी/स्वामित्व फर्म, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फैडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं0 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी—वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, एमओएफपीआई योजनाओं और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।

अनुसूची 23

(राशि रूपयों में)

व्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. स्थायी ऋणों पर	-	-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

स्थान : गुरुग्राम

हस्ता. /—

दिनांक : 23.06.2021

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है।

2. वस्तु सूचियों का मूल्यांकन

भंडार, कलपुर्जों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

3. निवेश

लागू नहीं

4. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

5. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को आवक माल फुलाई सहित अधिग्रहण की लागत, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्ययों की लागत पर दर्शाया गया है।

6. मूल्यहास

(क) मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर मुहैया करवाया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यहास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुहैया करवाया गया है।

7. विविध व्यय

लागू नहीं

8. बिक्री हेतु लेखांकन

लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान / सहायिकी

- क) भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त सहायता—अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- ख) विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता—अनुदान को निर्दिष्ट निधियों में दर्ज किया गया है।
- ग) गैर—मौद्रिक परिसंपत्तियों के साथ—साथ विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रकृति वाला कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

10. विदेशी मुद्रा लेन—देन

विदेशी मुद्रा लेन—देन को तत्संबंधी लेन—देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं।

11. लीज

लीज रेंटल्स को लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

12. सेवानिवृत्ति हितलाभ

- क) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर देय उपदान संबंधी प्रावधान का प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया गया है।
- ख) कर्मचारियों को संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोद्भूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. राजस्व मान्यता

- (क) एफडीआर, बचत बैंक खाता पर ब्याज, ऋणों तथा अग्रिमों पर सेवा प्रभार जैसी आय को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया गया है।
- (ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त शेषों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है।
- (ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता / सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की वापस की गई अप्रयुक्त धनराशि को समग्र / पूँजी निधि में दर्ज किया गया है।

14. माह मार्च, 2021 के लिए वेतन एवं भत्तों के प्रावधान को लेखों में नहीं किया है, क्योंकि यह अगले वर्ष में देय हैं।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 23.06.2021

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओओ

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखे पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.2 निम्न के मामले में –
 - निकाय की ओर से /द्वारा दी गई बैंक गारंटियां – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साथ-पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगे:
 - बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम का निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के तहत निर्धारण वर्ष 2008–09 तक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) को अधिसूचित किया गया था।

एन.एच.बी. ने निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2010–11, 2011–12 से 2013–14 और 2014–2015 और आगे के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के तहत छूट के नवीकरण के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया, परन्तु आयकर प्राधिकारियों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। बोर्ड ने आयकर प्राधिकारियों के फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय प्रतीक्षित है। बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत आयकर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है। एन.एच.बी., आयकर विभाग में शून्य आय की अपनी आयकर रिटन (आईटीआर) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुपालन हेतु धर्मार्थ संस्थान द्वारा अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ समय से प्रतिवर्ष दाखिल कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 (निर्धारण वर्ष 2021–22 संबंधित) के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक, एनएचबी ब्रांच, गुरुग्राम द्वारा एन.एच.बी. की सावधि जमा के ब्याज/किराये पर टीडीएस राशि रु. 68,39,887/- काटी गई है जो आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर रिटन दाखिल करने के समय रिफंड के रूप में दावायोग्य है। एन.एच.बी. को निर्धारण वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19 व 2019–20 का आयकर प्राधिकारियों से रिफंड प्राप्त हुआ है जो आय को शून्य मानते हुए वर्ष के दौरान किराया रसीदों और एफडीआर(ओं) के अर्जित ब्याज पर टीडीएस के रूप में काटा गया था।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 सीआईएफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| — तैयार माल की खरीद | शून्य |
| — कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित) | शून्य |
| — पूंजीगत वस्तुएं | शून्य |
| — भंडार, कलपुर्ज तथा उपभोज्य | शून्य |

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क. यात्रा व्यय	शून्य
----------------	-------

ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान	शून्य
---	-------

ग. प्रौद्योगिकी जागरूकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान	शून्य
--	-------

घ. अन्य व्यय:	
---------------	--

- | | |
|-----------------------------|-------|
| — बिक्री पर कमीशन | शून्य |
| — विधिक तथा व्यावसायिक व्यय | शून्य |
| — विविध व्यय | शून्य |

6.3 आय

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य
----------------------------------	-------

6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| — लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में | शून्य |
| — जेब खर्चों व्यय | शून्य |
| — कराधान मामले | शून्य |
| — अन्य | शून्य |

7. आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउशर की लागत के कारण संचयी निधि और आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउशर की लागत से सृजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।
8. सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल उदार ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।
9. उन उदार ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बा.बो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, एन.एच.बी. की पूर्ववर्ती सॉफ्ट लोन योजना के तहत वसूली शून्य है।
10. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने (फरवरी 2017) में अस्थायी तौर पर (सितम्बर 2016 में परिसमाप्त हुए) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नॉवोड) की भूमि व भवन को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और एनएचबी को अपने बजट में से सुरक्षा स्टाफ, बिजली व्यय आदि की मजूदरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जिसके लिए एन.एच.बी. को बाद में फंड हस्तांतरित किया जाएगा। 31 मार्च 2021 को राशि रु. 18,96,914/- वसूलीयोग्य है जिसे लेखा बहियों में दिखाया गया है।
11. लाभार्थियों द्वारा देयों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखे में दंडात्मक व्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
12. उदार ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमें दायर किए हैं। 31. 03.2021 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 19,44,49,582/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
13. सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।
14. पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
15. आंकड़ों को निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया है।
16. 31 मार्च, 2021 तक के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ संलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान : गुरुग्राम

हस्ता. /—

हस्ता. /—

हस्ता. /—

दिनांक : 23.06.2021

प्रबंध निदेशक

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) / एचओआ

लेखा अधिकारी

CONTENTS

PREFACE

1. INTRODUCTION

- 1.1 Vision
- 1.2 Mission
- 1.3 Objectives

2. THE ORGANIZATION

- 2.1 Board of Directors
- 2.2 Managing Committee

3. RESOURCES

- 3.1 Our People
- 3.2 Our Network
- 3.3 Our Infrastructure

4. FUNDING

5. SCHEMES/PROGRAMMES

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops

- 5.1.1 Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode
- 5.1.2 Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode
- 5.1.3 Integrated Post Harvest Management projects
- 5.1.4 Achievements

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storage and Storages for Horticulture Produce

- 5.2.1 Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone
- 5.2.2 Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment
- 5.2.3 Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere
- 5.2.4 Technology induction and modernization of cold chain
- 5.2.5 Achievements

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

- 5.3.1 Objectives
- 5.3.2 Components & Pattern of Assistance
- 5.3.3 Achievements

5.4 Market Information Service for Horticultural Crops

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capabilities of NHB

HIGHLIGHTS : 2020-21

1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) Commercial Horticulture- Open Cultivation
- b) Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables
- c) Support to Post-Harvest Management
- d) Quality Planting Material
- e) Supplementary Activities

2. Creation of Cold Storage Capacity

3. Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

- a) Capacity Building Programmes
- b) Quality Planting Material

4. Official Language Inspection of NHB on 20th August 2020 by Committee of Parliament of Official Language

5. Celebration of Vigilance Awareness Week

6. Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition

New initiatives taken by NHB during the period of Report :

- I) Horticulture Cluster Development Programme
- II) National Nursery Portal

ANNEXURES

- I. Objectives of the National Horticulture Board
- II. List of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2021
- III. Staff Position as on 31.03.2021
- IV. List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address
- V. Annual Accounts of the Board for the year 2020-21

PREFACE

It is a matter of pride to place it on record that during 2020-21 horticulture sector in the country has recorded a production of 331.05 MT which is highest ever in the history of Indian Horticulture. India retains its position as the 2nd largest producer of Fruits and Vegetables globally. This demonstrates willingness and risk taking entrepreneurship of Indian farmers to accomplish the task of production of perishable horticulture produce and contribute towards food and nutritional security of the Nation.

NHB has played a multidimensional role in achieving this milestone by providing support to the farmers and entrepreneur for improved quality production, post harvest management and value addition through its broad based entrepreneur driven innovative schemes. Since its inception in 1984, NHB has contributed immensely to horticulture sector with its initial journey of development hi-tech commercial horticulture and cold chain infrastructure by launching of soft loan schemes during 1993 and introduction of credit linked back end subsidy schemes in the year 2000. Since 2014-15 onwards, NHB has been brought under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) to accelerate planned development of commercial horticulture and post harvest management infrastructure in the country.

Some of the highlights of the horticulture development with financial assistance from NHB during the year include establishment of 307 numbers of commercial horticulture projects in an area of 2065 acres, 33 post-harvest management and hi-tech commercial units and establishment of 16 cold storage units with a storage capacity of 1.15 lac metric tonnes.

In order to address the challenges and enhance the global competitiveness of the Indian horticulture sector, the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, has launched the Horticulture Cluster Development Programme (CDP). It is a Central Sector programme, to be implemented by the National Horticulture Board. The programme will aim to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains.

In order to ensure availability of quality planting material in the country, during the year under report, NHB has completed the process of establishment of National Nursery Portal. This portal will facilitate nursery owners to showcase their capabilities to supply quality planting material to the horticulture growers and to help the buyers in procuring the quality planting material of different crops of their choice in nearby localities and across the States. This platform will provide real time visibility of stock inventory including demand and supply of planting material as well as projected demand.

I must place it on record that these achievements of the Board in the field of Horticulture would not have been possible without the visionary guidance of Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare & President of the Board Shri Narendra Singh Tomar and all the Members of Board of Directors of NHB. I am especially thankful to Shri Sanjay Agarwal, Secretary DA&FW & Chairman of Managing Committee and its members for their regular guidance and support. I also appreciate the excellent support rendered by the team of officers and staff of NHB has in achieving the objectives of the Board.

(Rajbir Singh)
Managing Director

1. INTRODUCTION

National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 as an Autonomous organization under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and registered as a society under Societies Registration Act with its headquarters at Gurugram. Presently, NHB has 29 field offices located all over the country. The broad aims and objectives of the Board are to develop production clusters/hubs for integrated Hi-tech commercial horticulture, development of Post-harvest and cold chain infrastructure, ensuring availability of quality planting material and to promote adoption of new technologies/tools/techniques for Hi-tech commercial horticulture etc.

1.1 Vision

- Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects has been visualized.
- This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in the Country; creation of post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export.
- With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

1.2 Mission

- To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material.
- To promote investment in Post-Harvest Management and Cold Chain infrastructure.
- To promote development and transfer of technology for quality production.
- Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stake holders and credit institutions.

1.3 Objectives

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at [Annexure-I](#).

2. THE ORGANIZATION

2.1 Board of Directors

The overall management of all the activities of NHB is supervised by "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare as its Vice-President. The composition of the Board of Directors is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare	President (Ex-Officio)
2.	Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare	Vice-President (Ex-Officio)
3.	Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Director General, Indian Council of Agriculture Research	Member (Ex-Officio)
5.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
7.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
8.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
9.	Advisor (Agriculture), Niti Aayog	Member (Ex-Officio)
10.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
11.	A representative of Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) or any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President	Member (Ex-Officio)
12.	11 Representatives of Horticulture Industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.)	Non Officials Members
13.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

A list of Members of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2021 is given in [Annexure-II](#).

2.2 Managing Committee

The Union Secretary (Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Supervision, Direction and Control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Chairman (Ex-Officio)
2.	Additional Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
3.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
5.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
7.	General Manager, NABARD	Member (Ex-Officio)
8.	A representative of Farmers (To be nominated by the Central Govt.)	Member
9.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

3. RESOURCES

3.1 Our People

Managing Director is the Principal Executive of the Board who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled up posts are given at Annexure-III.

3.2 Our Network

The Head Office of the Board is situated at Gurugram, Haryana. Besides, there are 29 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at [Annexure-IV](#).

3.3 Our Infrastructure

1. A sprawling well maintained green campus of 5.4 acres.
2. Fully computerized work environment at Head Office and also in field offices.
3. Well equipped Library having wide range of horticultural publications.
4. Committee Halls and Canteen Facilities at Head Office.

4. FUNDING

The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid. The details of the funds received and expenditure incurred under various Schemes during the year 2020-21 are given hereunder:-

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Name of Scheme	Grant Received	Unspent Balance as on 01.04.2020	Total fund available	Expenditure incurred
1.	NHB	10174.60	5002.59	15177.19*	10714.56
2.	NHM (TSG)	200.00	44.82	244.82	193.71
3.	NBM (TSG)	20.00	5.26	25.26	6.82

* An amount of Rs 2769.71 lakh was refunded to DAC&FW during the year 2020-21 (on account of unspent balance prior to 2019-20, call back subsidy and interest earned)

5. SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various innovative programmes/schemes to promote large scale adoption of modern package of practices and processing/value addition in horticultural crops. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create post-harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for Production and Post Harvest Management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2020-21 are given hereunder:-

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post Harvest Management of Horticulture Crops

Under this scheme, projects for establishment of commercial production units in open fields as well as under protected conditions, post-harvest management and primary processing units are eligible for financial assistance.

Description of Components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
5.1.1	Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode	National Horticulture Board considers integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres). Integrated production unit on Mushroom and tissue culture are also eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. are also eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/projects to increase productivity.	Credit linked back-ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly States and Scheduled areas.
5.1.2	Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode	Commercial horticulture development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, etc. for projects having area over 2500 sq. meter are being considered. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti bird /hail nets etc. are eligible for assistance. However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.	Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs 56.00 lakh per project as per admissible cost norms. (Board is permitted to take up projects under protected cultivation in an area of 1000 sqm. and above in NE States).
5.1.3	Integrated Post Harvest Management projects	I) Integrated Post Harvest Management projects relating to Pack House, Ripening Chamber, Reefer Van, Retail Outlets, Pre-cooling unit, etc. are assisted under this component. NHB also accepts standalone projects of PHM in component mode.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs 50.75 lakh per project in general area and @ 50 % of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE, Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.

		<p>ii) Primary processing units of fruits, vegetables, flowers, cashew and aromatic plants only.</p>	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of cost limited to Rs.8.75 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 12.50 lakh per project in NE, Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.
--	--	--	---

5.1.4 Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 340 projects during the financial year under report involving subsidy of Rs. 5224.69 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Pack House and Grading Centres, Ripening Chambers, Reefer van, Pre-cooling units, Cold Room, Primary Processing units etc.

OPEN FIELD CULTIVATION



Cardamom cultivation in open field in Idukki District (Kerala)



Pomegranate cultivation in open field in Anantpur District (A.P.)



Grapes cultivation in open field in Nashik District (Maharashtra)



Mango & Mosambi cultivation in open field in Nalgonda District (Telengana)

PROTECTED CULTIVATION



Gerbera cultivation under poly house in Bangalore Rural District (Karnataka)



Cucumber cultivation under Shadenet House in Khargone District (Madhya Pradesh)

PROTECTED CULTIVATION



Gerbera cultivation under poly house in Latur District (Maharashtra)



Carnation cultivation under poly house in Bangalore Rural District (Karnataka)

REEFER VANS



NHB assisted Reefer Vans of M/s Kirat Logistics, Delhi

GRADING PACKING UNIT



Grading Packing Unit of Apple in Himachal Pradesh

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component.

Description of components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Items	Pattern of Assistance
5.2.1	Cold Storage unit Type 1 – basic mezzanine structure with large chamber (>250 MT) type with single temperature zone	<p>NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • @Rs. 8000/MT for capacity up to 5000 MT • @Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT 	<p>Credit linked back-ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE, Hilly States and Scheduled Areas) for capacity above 5000 MT. For calculation of capacity 3.4 cubic meters (cum.) (120 cubic feet {cft}, of chamber volume shall be considered equivalent to 1 MT storage capacity.</p> <p>(Board is permitted to take up cold storage projects in NE Area for capacity of 1000 MT or above).</p> <p>However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.a</p>
5.2.2	Cold Storage unit Type 2 – PEB type for multiple temperature and product use, more than 6 chambers of <250 MT and basic material handling equipment	<p>NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • @Rs. 10000/MT for capacity up to 5000 MT • @Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT 	
5.2.3	Cold Storage unit Type 2 with add on technology for Controlled Atmosphere	<p>NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per Type 2 rates given above:-</p> <p>Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology as per component wise cost.</p>	

5.2.4	Technology induction and modernization of cold-chain	<ul style="list-style-type: none"> @Rs. 5000/MT for capacity between 5001 to 10000 MT Components of modernization include PLC equipment, packaging line, dock levelers, advance graders, alternate technologies, stacking system, modernization of insulation and refrigeration etc. 	
-------	--	--	--

5.2.5 Achievements

Under the scheme, the Board has sanctioned 16 projects of Cold Storages/CA Storages during the financial year under report involving subsidy of Rs. 3216.54 lakh for creation of capacity of 114810.70 MT.

COLD STORAGE



NHB assisted unit of M/s Kalyan Cold Storage, in District Indore (Madhya Pradesh)



NHB assisted unit of M/s Chatrad Cold Storage Pvt. Ltd. in Dist- Haveri (Karnataka)

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

5.3.1 Objectives

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption shall be undertaken through following sub-components:

5.3.2 Components & Pattern of Assistance

Sr. No.	Components	Pattern of Assistance
i	Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Project based - 100% and only through Govt. agency/Public Sector @ Rs.100.00 Lakh/ha. for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc.
ii	Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Project based - 100% and only through Govt. agency/PSUs @ Rs.50.00 lakh/project.
iii	Import/procurement of Machines and Tools for horticulture for demonstration purpose	Rs. 50.00 lakh/machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/Public Sector. Proposals of Growers Associations promoted by NHB and Co-operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors.
iv	<p>Development & Transfer of Technology:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pilot project for introduction of new farm input and appropriate technologies etc. for promoting high quality commercial production or increase in productivity. (ii) Development and introduction of new protocol relating to PHM, Cold Chain, Primary processing, Bio-technology and introduction of new tools/ equipment/machineries for PHM, storage including cold chain system and handling. (iii) R &D projects for solving specific problems related to production, PHM, packaging, storage, handling and transport. 	Up to Rs.25.00 lakh/project as 100% of total cost and only through Govt. agency/PSU

V	Long Distance Transport Solution component to facilitate long distance transportation and bulk movement of horticulture products through rail etc.	Project based Rs 2000.00 lakh
vi	Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs	100% of cost by Central Nodal Agency @Rs. 25.00 lakh
vii	Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual, 100% of the cost
viii	Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant, 100% of air / rail travel and course fee
ix	Organization/participation in seminars/ workshops/exhibitions etc. for development of horticulture	<ul style="list-style-type: none"> (i) The financial assistance is limited up to Rs.10.00 lakh for International event (3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (ii) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to: <ul style="list-style-type: none"> • Rs.1.00 lakh per event for State Level event, • Rs. 2.00 lakh for National level event and • Rs 3.00 lakh for International event (for organizations/ participation of international event within India).
x	Accreditation and Rating of Fruit & Vegetables Nurseries	Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB)

5.3.3 Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 12 projects for Introduction of New Technology, Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/ Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs. 54.34 lakhs.



NHB Stall at National Horticulture Fair-2021 (8-12 February 2021) at IIHR, Bengaluru (Karnataka)

ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Fruit Plant Nursery in District Jammu (J&K)



Fruit Plant Nursery in District Jalna (Maharashtra)



Vegetable Nursery in District Udupi (Karnataka)



Vegetable Nursery in District Nashik (Maharashtra)

5.4 Market Information Service Scheme for Horticulture Crops

This scheme deals with work of computerization, development of technology package, data feeding, information dissemination through publicity, printed literature local advertisements etc. Scheme provides for engagement of outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer, Data Entry Operators and Horticulture Assistants as per need at approved rates under TSG component of MIDH. An amount of Rs. 766.79 lakh has been incurred under the scheme including Mission Management & Administrative Expenses for NHB Centers.

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys are carried and study/survey reports are published for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories may be set up or cause to be set up and also provide technical services including advisory and consultancy services.

This component is executed by NHB with its own man-power and also with services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/NHRDF, etc.

An amount of Rs. 134.41 lakh has been incurred under Horticulture Promotion Service scheme and Rs. 1283.53 lakh incurred under Mission Management & Administrative Expenses for Head Office.

HIGHLIGHTS : 2020-21

1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) **Commercial Horticulture-** Open Cultivation: 181 commercial horticulture projects of various fruits, spices and aromatic plants in open cultivation conditions in project mode by providing subsidy of Rs. 1076.60 lakh involving an area of 1978.68 acres.
- b) **Commercial Horticulture-** Protected Cultivation of flowers and Vegetables: 126 projects of flowers and vegetables under protected conditions by providing subsidy of Rs. 3535.246 lakh involving area of 187.55 acres.
- c) **Support to Post-Harvest Management**
 - i) 18 projects for creation of Grading packing units, Pack house, Cold Room etc. with an amount of Rs. 181.90 lakh.
 - ii) Primary Processing: 7 primary processing units of cashew, other F&V and raisin involving subsidy of Rs. 61.15 lakh.
 - iii) 2 ripening units, 1 refer van project with an amount of Rs. 103.852 lakh
- d) **Quality Planting Material:** Nursery: 2 project for establishment of floriculture and vegetables seedlings nursery units by providing subsidy of Rs. 45.715 lakh involving area of 3.75 acres.
- e) **Supplementary activities:** 3 projects of Tissue culture units etc. involving a subsidy amount of Rs. 25.893 lakh.

2. Creation of Cold Storage Capacity

- a) NHB has assisted 16 Cold Storages/CA Stores involving a subsidy amount of Rs. 3216.54 lakh for creation of 114810.70 MT capacity.

3. Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture

- a) **Capacity building Programmes:** Organized/supported 12 programmes of various activities viz. Participation in Seminars/Symposia/Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries.
- b) **Quality Planting Material:** System of Accreditation and Rating of fruit and vegetable nursery has been started since 2008-09. During the year 2020-21, Board has accredited 406 nurseries.

4. Official Language Inspection of NHB on 20th August 2020 by Committee of Parliament on Official Language



5. Celebration of Vigilance Awareness Week



Lecture by Eminent Speaker

6. Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition



New initiatives taken by NHB during the period of Report :

I. Horticulture Cluster Development Programme

To enhance the global competitiveness of the Indian horticulture sector the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare (MoA&FW), Government of India has finalized a comprehensive horticulture Cluster Development Programme (CDP) which will be launched soon. It will be a Central Sector programme, to be implemented by the National Horticulture Board (NHB). The programme will aim to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains.

CDP will be designed to leverage the geographical specialization of horticulture clusters and promote integrated and market-led development of pre-production, production, post-harvest, logistics, branding and marketing activities. MoA&FW has identified 53 horticulture clusters, of which 12 have been selected for the pilot launch of CDP. Based on the learnings from the pilot project, the programme will be scaled up to cover all the 53 clusters.



National Horticulture Board has appointed a Programme Management Unit (Grant Thornton Bharat LLP) to drive and support the implementation of the programme activities.

After multiple rounds of consultations with several stakeholders of the value chain aided with field visits, the Implementation Structure for CDP has been prepared and approved by the Competent Authority. The draft operational guidelines are in preparation and the programme is expected to be launched in the month of May 2021.




Figure: Programme Implementation Structure

After successful implementation of the programme in 53 clusters, the overall impact is envisaged to benefit around 1 million farmers leveraging a total estimated investment of INR 10000 Cr. and is expected to enhance the exports substantially.



II. National Nursery Portal

Inadequate availability of quality planting material is one of the primary reason for low productivity of various horticultural crops in India. The common challenges are about sudden drying of grafts even after 2 to 3 years, long gestation period, and non-flowering of the trees even after 6-7 years, poor fruit setting, low productivity and poor quality of fruits.

Concerned with the above issue, the Government of India is providing financial assistance through its various schemes for establishment of nurseries, their accreditation and rating with an aim to establish a network of quality nurseries across the country for the purpose of propagation, multiplication and distribution of quality planting material of horticulture crops in India.

A large number of nurseries for horticultural crops have been established both in public and private sector and several of them have been accredited by various agencies, however, information related to the location of nurseries, their rating and availability of planting material with them during any given period for various crops and their varieties, is scattered and not available at one place. As a result, there is little access of information for farmers/growers and other stake holders in this field.

Proposal to set up National Nursery Portal

In order to overcome the above problem, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare through National Horticulture Board decided to setup an '**Online Digital Platform**' for Nurseries in India, enabling easy access to information on availability of quality planting material in the nearby localities for farmers/growers and other stake holders. Accordingly, NHB awarded the task to a professional agency to designing and managing the National Nursery Web Portal. In this process, various consultation were held with the concerned stakeholders to so that all required features are covered in the proposed Portal.




"Prosperity through Horticulture"



"Ensuring Availability of Quality Planting Material "

Through this portal, the nursery owners will able to showcase their profiles and post sell offers and buyers of planting material can post enquiries and view matching sell offers. The Key features of the National Nursery Portal includes:-

- After registration, the Nurseries will be able to update their profiles online including availability of Planting Material stock.
- The Nurseries will also been linked with rating system and/or with State Governments. This will allow the buyers to make informed decision about the quality of the produce procured by them from the Nursery.
- The Nurseries will be able to post sell offers to Buyers registered in the Portal
- The Buyers will be able to post enquiries in the Portal.
- The virtual aggregation feature at the portal will match the Buyer's enquiries with Nursery's sell offers automatically. Nurseries and Buyers will be able to exchange messages using the portal.
- It will be also a platform of communication contract between Nurseries and Buyers and also for knowledge dissemination



It is also proposed to have this portal in regional languages, apart from English and Hindi versions for wider coverage of the farming community. Apart from this, Mobile Apps of National Nursery Portal for Registered Buyers and Nurseries both in “Android” and “IoS” platforms are also in the process of coding.

The newly developed NHB's National Nursery Portal platform will greatly help buyers to easily access Nurseries as well as be aware of the availability, price expectation, etc., of the quality planting material. Similarly Nurseries will also getting exposed to the market demands. With the direct connect of buyers to Nurseries, it is expected that the latter shall get better remuneration for their quality planting material as well as get timely advisories for better yield and quality compliance.

Annexure-I

Objectives of the National Horticulture Board

- i) Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture
- ii) Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects
- iii) Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,
- iv) Popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment
- v) Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.
- vi) Promotion and market development of fresh horticulture produce.
- vii) Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.
- viii) Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
- ix) Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,
- x) Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
- xi) Promotion of consumption of horticulture produce and products.
- xii) Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,
- xiii) Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.

Annexure-II

Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2021)

Sr. No.	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
1	Shri Narendra Singh Tomar, Hon'ble Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23383370/23782691/ 23384129 Email: am.krishi@nic.in	President (Ex-officio)
2	Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23782343/23782565 E-mail: mos.krishi@nic.in	Vice-President (Ex-officio)
3	Shri Sanjay Agarwal Secretary, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382651/ 23388444 Email: secy-agri@nic.in	Member (Ex-officio)
4	Dr. Trilochan Mohapatra, Director General, Indian Council of Agriculture Research, Krishi Bhawan, New Delhi Ph:011-23382629-476/ 25841976/23386711/ 25843190 (R) Email: dg.icar@nic.in	Member (Ex-officio)
5	Shri G. Srinivas Addl. Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381363/23382532 Email: asfa-agri@gov.in	Member (Ex-officio)
6	Dr. Abhilaksh Likhi Addl. Secretary (Hort), Department of Agriculture Coop.& Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382219 Email: ascc-agri@nic.in	Member (Ex-officio)

7	Shri Rajbir Singh, Joint Secretary & Mission Director, Mission for Intergraded Development of Horticulture (MIDH) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382444/ 23073779 Email: jsmidh-agri@gov.in	Member (Ex-officio)
8	Dr. B.N.S. Murthy Horticulture Commissioner, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381012/23383712 Email: hortcommissioner@gmail.com	Member (Ex-officio)
9	Dr. J.P. Mishra, Adviser (Agriculture), Niti Ayog, New Delhi Ph: 011-23096796 Email: adviser.agri-pc@nic.in	Member Ex-officio
10	Shri Paban K. Borthakur Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area, 3rd Floor , NCUI Building, August Kranti Marg, New Delhi Ph: 011-26513167 Email: chairman@apeda.gov.in	Member (Ex-officio)
11	Smt. Pushpa Subrahmanyam Secretary Ministry of Food Processing Industry (MoFPI), Pancheel Bhawan, August Kranti Marg, New Delhi – 110 049 Ph: 011-26492476 Email: secy.mofpi@nic.in	Member (Ex-officio)
12	Shri Bansi Lal Gurjar Village Lalghati, P.O. Sabakheda, Tehsil & District Mandsaur (Madhya Pradesh) Mobile : 09425105258, 09425105648 Email : gurjar.banshilal@gmail.com	Non-Official Member
13	Dr. Sanjay Sharma, Karun Nursing Home, Mantedi, Ambala – 134003 (Haryana) Mobile : 09416028501, 07988661769, (Ph : 0171-2855001) Email : sanjay65dr@gmail.com	Non-Official Member

14	Shri Gary T. Haokip H-56, Republic Mual Veng, Aizwal, Mizoram – 796001 Mobile : 09436354457 Email: garyhaokip@yahoo.co	Non-Official Member
15	Dr. Rakesh Kumar Sharma Village Budhan (Lower), P.O. Pairwin, Tehsil Barsar, District Hamirpur, (Himachal Pradesh) Mobile : 09418600199 Email : rakeshsharmaabvp@gmail.com	Non-Official Member
16	Shri S.N. Rajanna, Singanayakanahalli Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064 (Karnataka) Mobile : 09845085779 Email: snrajanna1960@gmail.com	Non-Official Member
17	Dr. Sunil Pareek, Associate Professor (PHT) Department of Agriculture & Environment Sciences, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) Plot No. 97, Sector 56, HSIIDC Industrial Estate, Kundali, Sonepat – 131028 (Haryana) Mobile : 09414821483, 07056721483 Email : sunil_ciah@yahoo.co.in, spareekhort@gmail.com, sunilpareek.niftem@gmail.com, sunil.pareek@niftem.ac.in	Non-Official Member
18	Shri Hukumchand Patidar, Village Maanpura, Tehsil Asnawar, District Jhalawad (Rajasthan) Mobile : 09461951154 Email:organicfarmmanpura@gmail.com	Non-Official Member
19	Shri Bala Shiva Prasath D 2/224, Gudisettlu Gate Thummanapalli Post, Tehsil- Hosur, Dist- Krishnagiri, Tamil Nadu Mobile: 09095076347 Email: balashivaprasath@gmail.com	Non-Official Member
20	Shri Jagdish Prasad Baiswar Vill & Post- Purvi Parasi, Renusagar Thana-Anpara, Sonbhadra (UP) Email : jagdishprashadbiashwar@gmail.com Mobile: 8840088781, 9838187201	Non-Official Member

21	Shri Amit Singh Chauhan Vill-Belag, Post-Jhiknipul, Tehsil- Chaupal Dist-Shimla, Himachal Pradesh Mobile : 09654262690, 7018341590, 0177-2622772 E-mail: amitchauhan417@gmail.com	Non-Official Member
22	Shri Manik Gangadhar Patil At Post Khedgaon, Near Irrigation Colony Gangasagar Bungalow, Tal-Dindori Dist- Nashik (Maharashtra) Mobile : 09225118679 Email : mgsgrapes@gmail.com	Non-Official Member
23	Shri Rajbir Singh Managing Director, NHB, Gurugram Ph: 0124-2342992, md@nhb.gov.in	Member Secretary (Ex-officio)

Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board. Shri B. Srinivas and Sh. Rajbir Singh were the Managing Directors of the Board during 01.11.2019 to 30.04.2020 and 01.05.2020 to 31.03.2021 respectively. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155

Details of Sanctioned, filled and vacant posts as on 31.03.2021

S. No.	Name of the post	Level & Pay Matrix		Present Position		
		Pay Level	Pay Matrix	No. of posts sanctioned	Filled	Vacant

Group 'A'

1.	Managing Director	14	144200-218200	1	-	1
2.	Deputy Managing Director	13-A	131100-216600	1	-	1
3.	Director (Personnel)	12	78800-209200	1	-	1
4.	Joint Director	11	67700-208700	5	4	1
5.	Joint Director (F&A)	11	67700-208700	1	-	1
6.	Deputy Director	10	56100-177500	30	21	9
7.	Deputy Director (Information System)	10	56100-177500	1	1	-
Total				40	26	14

Group 'B'

1.	Accounts Officer	7	44900-142400	1	1	-
2.	O. L. Officer	7	44900-142400	1	1	-
3.	Sr. Administrative Officer	7	44900-142400	3	3	-
4.	Technical Officer (Computer)	7	44900-142400	2	2	-
5.	Jr. Translation Officer	6	35400-112400	1	1	-
6.	Sr. Horticulture Officer	6	35400-112400	18	10	8
7.	Administrative Officer	6	35400-112400	1	-	1
8.	Sr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-
9.	Horticulture Officer	6	35400-112400	17	-	17
10.	Jr. Accountant	6	35400-112400	2	2	-
Total				48	22	26

Group 'C'

1.	Personal Executive	4	25500-81100	5	1	4
2.	Computer Executive	4	25500-81100	7	6	1
3.	Lower Division Clerk	2	19900-63200	5	3	2
4.	Hindi Typist	2	19900-63200	1	1	-
5.	Driver	2	19900-63200	3	-	3
6.	Electrician	2	19900-63200	1	1	-
7.	Messenger/MTS	1	18000-56900	40	35	5
8.	Budder Graftor	1	18000-56900	5	4	1
	Total			67	51	16

Detail

S. No.	Group	Post Sanctioned	Filled	Vacant
1.	Group "A"	40	26	14
2.	Group "B"	48	22	26
3.	Group "C"	67	51	16
	Total	155	99	56

In addition 18 nos. of Temporary Status (Messenger/MTS) in the pay band of Rs. 5200-20200 + grade pay of Rs. 1800/- are in position.

Annexure-IV

List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address

Sr. No.	State	Name & Address of the Centers
1	Andhra Pradesh	National Horticulture Board Minicipal Stadium Complex Vijayawada-520010 Tele/fax: 0866-2473351 Email: ap.nhb@gov.in
2	Assam	National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax :0361-2343719, 2340695 E-mail : assam.nhb@gov.in
3	Bihar	National Horticulture Board Room No 501, 502, 5th Floor, Boring Road, Verma Centre Patna-800 001, Tele/Fax :0612-2541218,2541128 E-mail : bihar.nhb@gov.in
4	Chandigarh	National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C Chandigarh-160 047 Tele/Fax :0172-2625249, 2625269 E-mail : chd.nhb@gov.in
5	Chattisgarh	National Horticulture Board H. No. 42, First Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha Raipur-492001 Tele/Fax : 0771-2423992 E-mail : cg.nhb@gov.in
6	Delhi	National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan New Delhi-11001 Tele/Fax 011-23097015,23073019 E-mail : delhi.nhb@gov.in

7	Gujarat	National Horticulture Board 416 Devnandan, Opp. Sanyas Ashram, Ellis Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380006 (Gujarat) Tele/Fax :079-29705413, 26585413 E-mail : gj.nhb@gov.in
8	Himachal Pradesh	National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171 002, Tele/Fax: 0177-2622908/2623801 E-mail : hp.nhb@gov.in
9	Jammu & Kashmir	National Horticulture Board Horticulture Complex Rajabagh Srinagar-190008 Tele Fax 0191-2474349 (PP), E-mail : jk.nhb@gov.in
10	Jammu & Kashmir	National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor South Block, Bahu Plaza Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax :0191-2474349, 2474112 E-mail : jk.nhb@gov.in
11	Jharkhand	National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax :0651-2230132,2233832 E-mail : jh.nhb@gov.in
12	Karnataka	National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bangalore-560 022 Tele/Fax 080-23371935, 23374149 E-mail : ktk.nhb@gov.in
13	Kerala	National Horticulture Board No. UR-10, Uppalam Road, Statue, Thiruvananthapuram-695001 Tele/Fax : 0471-2470505, 2470506 E-mail : kerala.nhb@gov.in
14	Madhya Pradesh	National Horticulture Board R-24, 2nd Floor, Near Hindustan Times MP Nagar, Zone-1, Bhopal – 462011 Tele/Fax :0755 –2761741 Email: mp.nhb@gov.in

15	Maharashtra	National Horticulture Board Room No. 317, 4th Floor Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi, Navi Mumbai- 400703 Tele/Fax 022-27830107 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in
16	Maharashtra	National Horticulture Board 401, 4th Floor, Lotus Plaza, Near Lakshmi Bhavan, Old Post Office Road. Gokulpeth, Nagpur-440 010 Tele/Fax :0712-2525030,2523110 E-mail : mh.ngp.nhb@gov.in
17	Maharashtra	National Horticulture Board S. C. Panwar Market Yard, Commercial Complex No. 1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax :0253-2974558, 2533715 E-mail : mh.nsk.nhb@gov.in
18	Maharashtra	National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhamburda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax : 020-25528582/83 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in
19	Odisha	National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneshwar- 751015 Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email : odisha.nhb@gov.in
20	Punjab	National Horticulture Board C/o, Directorate of Horticulture Room No. 13, 2nd Floor Kheti Bhawan, Ranjeet Evenue Amritsar- 143001 Tele/Fax 0183-2500236
21	Rajasthan	National Horticulture Board Second Floor, Modak Priyay, Plot No. 16 & 17, Near New, Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur 302 020 Tele/Fax :0141-2399405, 2390818 E-mail : rj.nhb@gov.in

22	Sikkim	National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax :03592-208453,220975 E-mail : sikkim.nhb@gov.in
23	Tamilnadu	National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032 Tele/Fax :044-22501151/22500965 E-mail : tn.nhb@gov.in
24	Telengana	National Horticulture Board No.2, 5-9-195, William Niwas, Chirag Ali Lane, ABIDS, Hyderabad-500 001 Tele/Fax :040-23200806, 23201140 E-mail : ts.nhb@gov.in
25	Uttar Pradesh	National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyam Bhawan Lucknow-226001 Tele/Fax 0522-2623374/2202420,4072096 E-mail: up.lko.nhb@gov.in
26	Uttar Pradesh	National Horticulture Board S-5/35-4, Vindhya Vasni Nagar, Mahaveer Road, Varanasi, U.P. - 221002 Mob.9598638136, 8004560584 E-mail : up.var.nhb@gov.in
27	Uttar Pradesh	National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road, Baraut- 250611 E-mail : up.brt.nhb@gov.in
28	Uttrakhand	National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjanpur, Dehradun- 248171 Tele/Fax 0135-2761922,2762767,2725517 E-mail : uk.nhb@gov.in
29	West Bengal	National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2nd Floor, Salt Lake, Sector-II Kolkata -700091 Tele/Fax: 033-29861049, 23211259 E-mail : wb.nhb@gov.in

ANNUAL ACCOUNTS OF THE NATIONAL HORTICULTURE BOARD FOR THE YEAR 2020-21



Send Post
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: डी.जी.ए.ए.के.व्यय/SAR NHB/2020-21/2021-22/ 1952

दिन/Dated: 06.12.2021

सेवा में,

सचिव,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार, कृषि भवन,
नई दिल्ली – 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलंग पारें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

अवधीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

— हृष्टा —

महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2020-21 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु Managing Director, National Horticulture Board, Gurugram, Plot No. 85, Institutional Area, Sector 18, Gurugram, Haryana 122015 को प्रेषित की जाती है।

मवदीया,
शनिम
निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the national Horticulture Board, Gurugram for the year ended 31 March, 2021

We have audited the Balance Sheet of the National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2021, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted from 2017-18 to 2021-22. National Horticulture Board has 25 operational accounting branch units, out of which six units (Chandigarh, Shimla, Kolkata, Nagpur, Chennai and Trivandrum) were audited during the year 2019-20. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Horticulture Board, Gurugram in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A. Balance Sheet

Assets

Fixed Assets (Schedule 8)

Capital work in progress: 0

Above does not include amount payable to party in respect of Civil and other Allied works (work for re-design, repair and remodeling workspace) at NHB Head Office amounting to ₹ 16.55 lakh, even though the work was in progress and the bill was also raised in March 2021. This has resulted in understatement of Capital Work in progress as well as Current Liabilities and Provisions by ₹16.55 lakh.

B. Significant Accounting Policies (Schedule 24)

I. The policy of the Board is in contravention to the instructions for compilation of Financial Statements, contained in Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies which states that the financial statements shall be prepared on accrual basis. Due to non-following the prescribed format, provision for the Salary for March 2021 paid in April 2021 amounting ₹ 91.09 lakh has not been made in the accounts.

II. The note is deficient to the extent that the Board has made provision for allowances such as T.A., LTC, Children Education Allowance, etc., pertaining to the year 2020-21 but paid in the year 2021-22 in the accounts.

C. General

During the year, the Board changed the accounting policy regarding provision towards Retirement Benefits (Gratuity and accumulated leave encashment) from accrual basis to actuarial basis. However, the Board has not disclosed the change in accounting policy and the impact of change in accounting policy. Thus, notes to the accounts are deficient to that extent.

D. Grant-in-Aid

Out of total Grant of ₹ 156.95 crore (including unspent balance of ₹ 51.09 crore of the previous year, Grants received during the year 2020-21 of ₹ 103.95 crore and Board's Misc receipts of ₹ 1.91 crore), the Board utilized a sum of ₹ 109.29 crore and refunded ₹ 27.73 crore to the Government, leaving a balance of ₹ 19.93 crore as un-utilized, as on 31.03.2021.

E. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit report have been brought to the notice of the Board's management through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Horticulture Board, Gurugram as at 31 March 2021; and
 - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India



Director General of Audit
(Central), Chandigarh

Place: Chandigarh

Date: 6/07/21

/ /

Annexure to Separate Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

The internal audit of NHB, Gurugram for the year 2020-21 was conducted by a firm of Chartered Accountants. Nagpur Branch office remained unaudited.

2. Adequacy of Internal Control System

The internal control is considered inadequate in view of the following:

- (i) The Board has not prepared its accounting manual.
- (ii) As per clause 10(i) of the Rules and Regulations of the Board, the managing committee shall meet at least once in every three months and otherwise at such places as may be determined by the Chairman or the Managing committee. During the year 2020-21, only one meeting (15.03.2021) of the Managing Committee was held in violation of the above rules.
- (iii) Many Earnest Money Deposits were pending since long.
- (iv) As per GFR 211 (ii)(a) Fixed Assets Register has to be maintained in Form G.F.R.- 22. Though Fixed Assets Registers have been maintained by Chandigarh and Shimla Branch Offices but the same have not been maintained in the proper format.
- (v) Unserviceable material was lying for auction in respect of Chandigarh, Shimla and Kolkata, Chennai and Trivandrum Branch Offices.
- (vi) Utilisation Certificates in respect of subsidy amounting to ₹ 24.31 crore were not obtained from the banks by the Chennai Branch Office.

3. Physical verification of Fixed Assets

Physical verification of Fixed Assets as on 31 March 2021 was conducted during June/July 2021 and physical verification of Library Books was conducted in November 2020 in respect of NHB Head Office. Physical verification of Fixed Assets was conducted by the Chandigarh Branch Office in September 2021 but period of last physical verification of Library Books was not made available. Physical verification of Fixed Assets was not conducted by the Shimla Branch office after 2018-19. Physical verification of Fixed Assets was not conducted by the Kolkata Branch office during the year 2020-21. Physical verification of Fixed Assets except Library Books was conducted by the Nagpur Branch Office.


4. Physical verification of Inventory

The Board has prepared an online stock balance report as on 31 March 2021. However, Physical verification of Inventory has not been carried out. Physical

verification of Inventory was not conducted by the Shimla Branch office after 2018-19. Physical verification of Inventory was not conducted by the Chandigarh and Kolkata Branch Offices for the year 2020-21. The period of last physical verification of inventory in respect of Chandigarh Branch Office was not made available.

5. Statutory dues

The Board was regular in depositing the undisputed statutory dues. NHB Shimla Branch office did not deduct TDS on office rent of ₹3.21 lakh paid during the year in contravention to Section 194-I of the Income Tax Act 1961.



Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2021

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	1,82,99,95,533	2,00,11,23,967
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	1,13,79,578	1,06,44,752
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	37,91,75,143	43,35,28,370
TOTAL		2,22,05,50,254	2,44,52,97,089
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	1,97,30,135	2,11,08,522
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	2,20,08,20,119	2,42,41,88,567
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		2,22,05,50,254	2,44,52,97,089
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM**
**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021**

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
Income from Sale & Services	12	1,37,66,684	93,55,761
Grants/ Subsidies	13	1,01,74,60,000	27,50,00,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	930	375
Interest Earned	17	11,41,88,052	15,53,48,519
Other Income	18	18,53,388	93,64,973
Increase/ (Decrease) in stock of finished goods and WIP	19	-	-
TOTAL (A)		1,14,72,69,054	44,90,69,628
EXPENDITURE			
Establishment expenses	20	8,71,67,291	9,92,05,411
Other Administrative Expenses etc.	21	2,23,58,293	2,34,10,765
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	94,32,19,979	1,21,57,54,212
Interest	23	-	-
Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	12A	2,81,21,777	2,84,13,368
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8)	8	25,38,114	38,08,288
TOTAL (B)		1,08,34,05,454	1,37,05,92,043
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)			
- For the Funds other than Cost of application & Processing Fee		7,82,18,693	(90,24,64,808)
- Cost of application & processing Fee		(1,43,55,093)	(1,90,57,607)
Transfer to Provision for Doubtful Debts (Reverse)		-	(1,18,74,630)
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/ CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT		7,82,18,693	(89,05,90,178)
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR APPLICATION & PROCESSING FEE		(1,43,55,093)	(1,90,57,607)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2021 (Amount in ₹.)

RECEIPTS	2020-21		2019-20		PAYMENTS		2020-21		2019-20	
	Current Year	Previous Year					Current Year	Previous Year		
I. Opening Balances					I. Expenses (from the Budget of Mission Management & Administrative Expenses)					
a) Cash in hand	90,295	66,370			a) Establishment Expenses - HO			10,73,89,500	8,38,59,880	
b) Bank Balances					b) Administrative Expenses - HO			2,05,24,229	2,38,40,085	
i) in current accounts	-	-								
ii) in deposit accounts	1,06,52,98,777	1,00,19,00,000			II. Payments made against funds for Various Schemes					
iii) in saving accounts	71,81,84,349	1,78,41,45,757			NHB Schemes					
iv) in deposit accounts (processing fee / Cost of Application form & scheme broucher A/c)"	35,82,00,000	34,92,00,000			Other than NE States	North East States				
II. Grants Received										
a) From Government of India										
i) For NHB schemes					-Subsidy			52,19,97,550	51,59,26,053	
- From NHB Budget	1,01,74,60,000	27,50,00,000			-Legal & Professional Charges	4,71,000		4,71,000	3,55,500	
ii) For NBM schemes					ii) Capital Investment Subsidy for Constn/Modernization/ Expansion of Cold Storage and Storages for Hort. Produce	29,25,73,800	2,90,80,000			
- For TSG component	2,00,00,000	1,50,00,000			iii) Technology Development and Trfr for Promotion of Horticulture	52,84,043	1,50,000	-	54,34,043	2,12,12,209
iii) For NBM schemes	20,00,000	-			iv) Market Information Services for Horticulture Crops	1,90,744			1,90,744	-
iv) For National Mission On Saffron schemes	-	-			v) Horticulture Promotion Services/Expert Services	1,34,41,430		-	1,34,41,430	34,59,459
b) From State Government	-	-			vi) Mission Management & Administrative Expenses					
					a) Establishment Expenses - Centres	5,45,18,925		5,45,18,925	6,13,86,805	
					b) Administrative Expenses - Centres	2,11,43,969		2,11,43,969	2,84,32,925	
					Total	90,16,01,961	3,72,49,500			
					vii) Expenses For China Garden at China			34,26,391	68,55,715	



राष्ट्रीय वागवानी बोर्ड
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2021

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2019-20		2020-21		Current Year	Previous Year		2020-21	Current Year	Previous Year
	2019-20	Current Year	2019-20	Current Year						
III. Income on Investments from			viii) National Bamboo Mission (Support Services)							
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-						6,81,733	14,50,183	
b) Own Funds (other Investment)	-	-	ix) National Horticulture Mission (TSG)					1,93,70,726	1,97,45,834	
IV. Interest Received			x) National Mission on Saffron					14,40,462	32,02,866	
a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for										
-NHB Funds	8,87,17,264	12,80,96,385	xi) MoFPI					(42)	14	
-Application Funds	2,63,20,415	2,73,66,328								
-NHM Funds	3,51,023	2,71,385	III. Investments & Deposits made							
-NBM Funds	47,020	59,471	a) Out of Earmarked/Endowment funds					-	-	
MoFPI Funds	29	47	b) Out of Own funds (Investments-Others)					-	-	
-National Mission on Saffron Funds	1,77,292	4,29,794								
			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress							
b) Loans, Advances etc.	-	-	a) Purchase/Additions to Fixed Assets					4,38,983	28,55,292	
V. Other Income (Specify)			i) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - HO							
Rent from IOB	17,55,144	4,33,600	ii) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - Centre					8,25,072	8,02,805	
Income Tax Refund	-	-								
Cost of Application form & scheme brochure	1,37,66,684	93,55,761	b) Expenditure on Capital Work-in-Progress					-	-	
Misc. Receipts	33,56,166	90,40,147								
Earnest Money Deposit - NHB	12,25,000	2,50,000	V. Refund of Surplus money/Loan							
Earnest Money Deposit - Saffron Park	4,00,000	-	a) To the Government of India					-	-	
Security Deposit	-	2,18,560	- Department of Agricultural & Coop							
			- from Internal Accruals							
VI. Amount Borrowed	-	-	- from Grant in Aid							
			- to MoFPI					1,456	-	
VII. Any other receipts (give details)			b) To the State Government						89,56,000	
a) Recovery of advances (Incl. Int.)	17,08,029	-	c) To the other providers of funds					-	-	
			VI. TDS DEDUCTED AT SOURCE BY BANK					54,41,384	93,25,443	

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2021

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2020-21		2019-20		PAYMENTS	2020-21		2019-20	
	Current Year	Previous Year				Current Year	Previous Year		
b) Recovery of Loan under NHB Scheme	-	1,18,74,630	VII. Other Payments (Specify)						
c) Unspent funds received back from beneficiaries under various schemes to whom funds were released in previous years under NHB Schemes			Advance to Staff						4,52,337
			Earnest money refunded - NHB						4,15,000
			Earnest money refunded - Saffron Park						-
			Prepaid Expenses						7,10,000
- For NE States	43,955		- Expenditure on behalf of NCCD, DWD & NOVOD Board						4,41,281
- For Other than NE States	22,63,231	3,42,45,136	Security Deposit						11,77,188
d) Recovery from Others	7,73,035	12,62,338	Amount Receivable						43,61,946
VIII. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK - NHB	2,79,72,764	-	VIII. Payments from Cost of Application Form & Scheme brochure						16,88,950
			- Payment to Contractual Data Entry Operators						2,82,610
			- Scrutiny fees cold storage						64,190
IX. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK (Application Fee)	93,01,295	-	- Travelling Expenses & consultancy fees of Experts						14,687
X. NOVOD Board	11,33,036	24,30,681	- Payment for NHB Publication						-
			- AMC Website & software						1,04,270
			- Bank Charges						38,81,897
			- Pay and Allowances (30%)						25,75,486
			- Payment for Leasehold shops						2,35,720
			IX. Closing Balances						1,76,117
			a) Cash in Hand						69,78,561
			At Head Office						1,08,13,964
			At NHB Centres						4,73,620
			b) Bank Balances						

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2021

(Amount in ₹.)

RECEIPTS	2019-20		2020-21		2019-20 Current Year	2020-21 Previous Year
	2020-21 Current Year	2019-20 Previous Year				
i) In current accounts						
ii) In deposit accounts (NHB's internal accrual amount)					1,17,41,00,000	1,06,52,98,777
iii) in deposit accounts (processing fee Amount)/Cost of Application form & Scheme brochure					41,79,00,000	35,82,00,000
iv) in Saving accounts						
-At NHB Centres - Imprest amount					90,32,010	
-At NHB Centres - Subsidy amount					12,218	
-At NHB Centres - Cost of Application form & Scheme brochure					665	
-At Head Office						
- For NHB Schemes & internal accruals					31,10,83,563	
- For Cost of Application form & Scheme brochure					2,91,03,019	
- For NHM Schemes					47,83,836	
- For NBM Schemes					17,46,871	
- MoFPI Funds					-	
- For National Mission on Saffron					43,38,042	
- For NHM Delhi centre					3,71,840	
- For NBM Delhi centre					81,760	36,05,53,825
Total	3,36,05,44,804	3,64,86,46,391	Total		3,36,05,44,804	3,64,86,46,391

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin./HOO)

Sd/-
Accounts Officer

Receipt & Payment Account Establishment Expenses for the year 2020-21

SCHEDULE -1

(Amount in ₹.)

Sr. No.	Particulars	2020-21	2019-20
1	EPF Board' contribution	1,17,48,028	1,28,88,229
2	Leave Encashment	1,35,81,072	36,63,490
3	LTC Claim	2,22,484	6,70,299
4	Medical Reimbursement	61,66,487	53,19,334
5	Pay & Allowance	5,52,97,701	5,51,87,513
6	Staff Welfare	4,14,894	5,35,672
7	Bonus & other allowance	30,000	36,000
8	Children Education Allowance	7,83,000	10,89,938
9	Gratuity Paid During The Year	1,91,45,834	44,69,405
	TOTAL	10,73,89,500	8,38,59,880

Administrative Expenses for the year 2020-21

SCHEDULE -2

(Amount in ₹.)

Sr. No.	Particulars	2020-21	2019-20
1	Electricity & Water Charges	15,73,987	17,43,608
2	Short & Excess	0	0
3	Generator Running & Maintenence	6,23,227	9,30,125
4	Insurance	21,864	6,563
5	Repair & Maintenance	9,42,938	9,66,427
6	Security Charges & House Keeping Exp.	67,53,723	65,19,398
7	Vehicle Running & Maintenence	29,713	46,208
8	Postage, Telephone & Communication Charges	5,85,772	5,64,337
9	Printing & Stationary	13,37,108	19,62,454
10	Conveyance & Travelling	22,34,169	53,79,081
11	Newspaper & Periodicals	16,133	53,087
12	Office Expenses	5,02,326	3,61,294
13	Expenses on Meeting & Entertainment	4,05,437	2,36,215
14	Auditor Remuneration & Fees	7,01,055	9,49,910
15	Legal & Professional Charges	19,66,770	20,29,019
16	Advertisement & Publicity	4,51,572	3,35,005
17	Photocopy Charges	15,02,738	14,65,495
18	Property Tax	1,96,020	1,96,020
19	Covid 19 Expenses	3,07,899	-
20	Rajbhasha Promotion Expense	3,71,778	95,839
	TOTAL	2,05,24,229	2,38,40,085

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM**
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2021

SCHEDULE -1

(Amount in ₹.)

CORPUS/ CAPITAL FUND :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year				
a. For the Funds other than Processing Fee and Application form account	1,56,33,91,005		2,60,74,69,539	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	7,82,18,693		(89,05,90,178)	
Add: Reversal/(cancel) of Stale Cheques	1,16,234		-	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at centre)	-		-	
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at Head Office)	23,07,186		3,42,45,136	
Less: Funds Remitted to Government of India	22,11,31,136		10,43,29,649	
Less: Income tax refund /TDS	-		-	
Less: Other Recoverable	-		-	
Less: Interest Payable to DAC & FW	1,62,84,318		5,58,39,894	
Less: Interest earned on Processing & Application fee	2,58,90,218	1,38,07,27,446	2,75,63,948	1,56,33,91,005
b. For Processing & Application Fee Account	43,77,32,962		42,92,26,621	
Add : Income tax refund/TDS	-		-	
Add : Other Recoverable	-		-	
Add : Interest earned on Processing & Application fee	2,58,90,218		2,75,63,948	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(1,43,55,093)	44,92,68,087	(1,90,57,607)	43,77,32,962
BALANCE AT THE YEAR END		1,82,99,95,533		2,00,11,23,967

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -2

(Amount in ₹.)

RESERVES AND SURPLUS :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
2. Revaluatiuon Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
3. Special Reserves :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
4. General Reserve :				
As per last Account	-		-	
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
TOTAL			-	-

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM**
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2021

SCHEDULE -3

(Amount in ₹.)

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK-UP				TOTAL	
	NHM Scheme	NBM Scheme	National Mission on Saffron	MoFPI Scheme	Current Year	Previous Year
a. Opening balance of the funds	4481574	526050	5635734	1394	1,06,44,752	2,86,71,755
Opening balance of the funds-EMD					-	7,10,000
b. Additions to the Funds					-	-
i. Grants/ Donations	2,00,00,000	20,00,000	-	-	2,20,00,000	1,50,00,000
ii. Income from funds (Interest on Saving a/c)	3,45,822	51,616	1,62,014	21	5,59,473	8,33,817
TOTAL (a + b)	2,48,27,396	25,77,666	57,97,748	1,414	3,32,04,226	4,52,15,572
c. Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds						
i. Capital Expenditure :						
- Fixed Assets	4,92,572	-	-	-	4,92,572	29,36,700
- Grants released for projects	-	-	-	-	-	-
	4,92,572	-	-	-	4,92,572	29,36,700
ii. Revenue Expenditure :						
- Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-
- Bank Charges	-	-	118	(42)	76	14
- Other Administrative expenses - TSG	1,88,78,154	6,81,733	14,40,344	-	2,10,00,231	2,14,62,183
- EMD Refunded	-	-	-	-	-	7,10,000
- Refund to MFPI/HMNEH/DAC	2,70,841	59,471	-	1,456	3,31,768	94,61,923
Total	1,91,48,995	7,41,204	14,40,462	1,414	2,13,32,075	3,16,34,120
Grand Total	1,96,41,567	7,41,204	14,40,462	1,414	2,18,24,647	3,45,70,820
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)	51,85,830	18,36,462	43,57,286	-	1,13,79,578	1,06,44,752

Note : Above net balances includes accrued interest.

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -4

(Amount in ₹.)

SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans		-		-
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -5

(Amount in ₹.)

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

Note: Amounts due within one year

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer



राष्ट्रीय वागवानी बोर्ड
NATIONAL
HORTICULTURE BOARD

SCHEDULE -6

(Amount in ₹.)

DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-		-
b. Others		-		-
TOTAL		-		-

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE -7

(Amount in ₹.)

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances		-		-
2. Sundry Creditors:				
a. For Goods	-		-	
b. Others	-	-	-	-
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on:				
a. Secured loans/ borrowings	-		-	
b. Unsecured loans/ borrowings	-		-	
	-		-	
5. Statutory Liabilities:				
a. Overdue	-		-	
b. Others	-		-	
	-		-	
6. Other current liabilities		2,51,70,669		6,01,84,854
TOTAL (A)		2,51,70,669		6,01,84,854
B. PROVISIONS				
1. For Taxation			-	-
2. Gratuity	9,60,53,863		10,11,32,758	
3. Superannuation/ Pension			-	
4. Accumulated leave Encashment	6,35,01,029		7,77,61,176	
5. Trade Warranties/ Claims			-	
6. Others - Doubtful Debts	19,44,49,582	35,40,04,474	19,44,49,582	37,33,43,516
TOTAL (B)		35,40,04,474		37,33,43,516
TOTAL (A + B)		37,91,75,143		43,35,28,370

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2021

SCHEDULE -8

(Amount in ₹.)

DESCRIPTION	Rates of Depreciation	GROSS BLOCK		Cost as at the beginning of the year	Cost as at the end of the year	Deductions/ Adjustment	As at the beginning of the year	During the year	Deductions/ Adjustment	Total up to the year end	Current year end	Previous year end	NET BLOCK
		Before 30 th sep.	After 30 th sep.										
A. FIXED ASSETS													
(I) FROM GRANT-IN-AID													
LAND:													
a. Freehold		31,39,088	-	-	-	31,39,088	-	-	-	-	31,39,088	31,39,088	
b. Leasehold		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BUILDINGS:		-	-	-	-	-	2,28,71,006	1,93,69,552	3,50,145	-	1,97,19,697	31,51,309	35,01,454
a. On freehold land	10%	2,28,71,006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. On leasehold land		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. Ownership Flats/ premises		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Superstructures on land	10%	1,62,742	-	-	-	1,62,742	1,36,959	2,578	-	1,39,537	23,205	25,783	
PLANT MACHINERY & EQUIPMENTS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VEHICLES	15%	8,22,181	-	-	-	8,22,181	6,57,328	24,728	-	6,82,056	1,40,125	1,64,853	
FURNITURE & FIXTURES	10%	1,83,38,096	1,16,171	2,51,092	6,221	1,86,99,138	1,29,10,750	5,66,859	5,751	1,34,71,858	52,27,280	54,27,346	
OFFICE EQUIPMENT	15%	2,21,77,678	2,00,767	3,14,369	28,467	2,26,64,347	1,76,09,673	7,38,589	26,447	1,83,21,815	43,42,532	45,68,005	
COMPUTER PERIPHERALS	40%	1,94,70,402	35,489	2,64,128	-	1,97,70,019	1,72,50,751	9,54,382	-	1,82,05,633	15,64,386	22,19,651	
LIBRARY BOOKS	40%	22,72,759	-	84,539	225	23,57,073	21,95,161	27,904	215	22,22,850	1,34,223	77,599	
TUBEWELLS & WATER SUPPLY	15%	85,040	-	-	-	85,040	84,853	27	-	84,880	160	187	
TOTAL		8,93,38,992	3,52,427	9,14,128	34,913	9,05,70,634	7,02,15,027	26,65,712	32,413	7,28,48,326	1,77,22,308	1,91,23,966	
(III) FROM PROCESSING FEE AND APPLICATION FORM & SCHEME BROCHURE FEE AMOUNT													
BUILDINGS:													
a. On freehold land	10%	22,96,404	-	-	-	22,96,404	16,66,044	63,036	-	17,29,080	5,67,324	6,30,360	
b. On Leasehold Shops		25,34,730	-	-	1,04,326	24,30,404	14,14,734	(2,84,314)	-	11,30,420	12,99,984	11,19,996	
SOLAR PANEL	40%	26,02,548	-	-	-	26,02,548	23,68,349	93,680	-	24,62,029	1,40,519	2,34,199	
TOTAL		74,33,682	-	1,04,326	-	73,29,356	54,49,127	(1,27,598)	-	53,21,529	20,07,827	19,84,556	
TOTAL OF CURRENT YEAR		9,67,72,674	3,52,427	9,14,128	1,39,239	9,78,99,990	7,56,64,154	25,38,114	32,413	7,81,69,855	1,97,30,135	2,11,08,522	
PREVIOUS YEAR		9,35,34,204	20,66,080	12,68,563	96,173	9,67,72,674	7,19,46,997	38,08,288	91,132	7,56,64,153	2,11,08,521	2,15,87,207	
B. CAPITAL WORK IN PROGRESS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL		9,67,72,674	3,52,427	9,14,128	1,39,239	9,78,99,990	7,56,64,154	25,38,114	32,413	7,81,69,855	1,97,30,135	2,11,08,522	

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO
Accounts Officer

SCHEDULE -9

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		-
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -10

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		-
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT ASSETS					
1. Inventories:					
a. Stores and Spares	4,06,878			7,40,357	
b. Stamps in hand	-			-	
c. Stock in trade	-			-	
- Finished goods	-			-	
- Work in progress	-			-	
d. Raw Materials	-	4,06,878		-	
					7,40,357
2. Sundry Debtors:					
a. Outstanding for a period exceeding six months	-			-	
b. Others		-		-	
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc)		68,876			90,295
4. Bank balances					
a. With Scheduled banks:					
- On Current Accounts				-	
- On Deposit Accounts					
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	41,79,00,000			35,82,00,000	
NHB's internal accrual	1,17,41,00,000			1,06,52,98,777	
- In Saving accounts (Head Office)	35,15,08,931			70,64,93,520	
- In Saving accounts -Imprest A/c(Centres)	90,32,010			1,15,03,989	
- In Saving accounts-SubsidyA/c (Centres)	12,218			1,46,707	
- In Saving accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres)	665	1,95,25,53,825		40,134	2,14,16,83,126
b. With non-Scheduled banks:					
- On current accounts	-			-	
- On Deposit Accounts	-			-	
- On Saving accounts	-			-	
	-			-	
5. Post Office Savings Accounts		-			-
TOTAL (A)		1,95,30,29,579			2,14,25,13,779

SCHEDULE -11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans and Advances				
a. Staff	11,39,977		28,49,194	
b. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity	4,970		14,687	
c. Others : Soft Loan under schemes of the Board				
- Considered good and recoverable			-	
- Doubtful	17,18,79,681	17,30,24,628	17,18,79,681	17,47,43,561
2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received:				
a. On capital account	-		-	
b. Prepayment	4,56,776		4,03,194	
c. Deposits & Recoverable's	65,44,258	70,01,034	29,29,976	33,33,170
3. Income Accrued:				
a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund	-		-	
b. On investments - FDR's Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	9,86,460		11,86,454	
NHB's internal accrual	1,62,61,754		1,87,84,989	
c. On Saving accounts			-	
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	91,880		4,02,066	
NHB's internal accrual	14,26,678		37,76,380	
NHM's	30,154		35,355	
NBM's	7,831		3,235	
National Saffron Mission	19,245		34,523	
MoFPI			8	
d. On Soft loans				
- Considered good and recoverable	-		-	
- Doubtful	2,25,69,901	4,13,93,902	2,25,69,901	4,67,92,910
(includes income due unrealised)				
4. Claim Receivable (Tax Deducted at Source By Bank on Interest & Rent)		2,63,70,975		5,68,05,147
TOTAL (B)		24,77,90,540		28,16,74,789
TOTAL (A + B)		2,20,08,20,119		2,42,41,88,567

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

SCHEDULE -12

(Amount in ₹.)

INCOME FROM SALES/ SERVICES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from sales:				
a. Sale of Finished Goods	-		-	
b. Sale of Raw Materials	-		-	
c. Sale of Scrap	-		-	
		-		-
2. Income from Services:				
a. Processing charges	-		-	
b. Cost of Application Form & Scheme Broucher	1,37,66,684	1,37,66,684	93,55,761	93,55,761
TOTAL		1,37,66,684		93,55,761

SCHEDULE -12A

(Amount in ₹.)

Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Expenses for Application Form & Scheme Brochure		2,81,21,777		2,84,13,368
TOTAL		2,81,21,777		2,84,13,368

SCHEDULE -13

(Amount in ₹.)

GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and subsidies received)	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government				
Planned expenditure				
From NHB Budget	1,01,74,60,000		27,50,00,000	
Non planned expenditure		1,01,74,60,000		27,50,00,000
2. State Government (s)			-	
3. Government Agencies			-	
4. Institutions/ Welfare Bodies			-	
5. International Organisations			-	
6. Others (Specify)			-	
TOTAL		1,01,74,60,000		27,50,00,000

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -14

(Amount in ₹.)

FEES/ SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Entrance Fees		-		-
2. Annual Fees/ Subscriptions		-		-
3. Seminar/ Program Fees		-		-
4. Consultancy Fees		-		-
5. Others		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -15

(Amount in ₹.)

INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds)	Invest from Earmarked fund		Investment - Others	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Interest				
a. On Govt Securities	-		-	
b. Other Bonds/ Debentures	-		-	
c. Others (FDs with banks)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. Dividends				
a. On Shares	-	-	-	-
b. On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	-	-		

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -16

(Amount in ₹.)

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from publications	930	375
2. Income from Royalty	-	-
3. Others (Specify)	-	-
TOTAL	930	375

SCHEDULE -17

(Amount in ₹.)

INTEREST EARNED	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. On Term Deposits:		
a. With Scheduled Banks (including TDS deducted by Bank Rs 67,06,214/-)	8,93,90,565	9,28,19,749
b. With Non Scheduled Banks	-	-
c. With institutions	-	-
d. Others	-	8,93,90,565
2. On Savings Accounts:		
a. With Scheduled Banks	1,82,62,662	6,25,19,524
b. With Non Scheduled Banks	-	-
c. Post Office Savings Accounts	-	-
d. Others - at Centres	-	1,82,62,662
3. On Loans:		
a. Employees/ Staff	4,181	9,246
b. Service charges recoverable from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-	-
c. Service Charges Received from Beneficiaries under Soft Loan Scheme		4,181
4. Interest on Debtors and Other Receivables	65,30,644	-
TOTAL	11,41,88,052	15,53,48,519

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -18

(Amount in ₹.)

OTHER INCOME	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Profit on sale/ disposal of assets:				
a. Owned assets	-		-	
b. Assets acquired out of grants, or received free of cost	-		-	
2. Rent received	-	17,55,144	-	3,25,200
3. Fees for Miscellaneous Services		-		-
4. Miscellaneous Income		98,244		52,880
5. Service charges/Penal Interest received				89,86,893
6. Other Receipt		-		-
TOTAL		18,53,388		93,64,973

SCHEDULE -19

(Amount in ₹.)

INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Closing stock				
a. Finished Goods	-		-	
b. Work in Progress	-		-	
2. Less: Opening Stock	-		-	
a. Finished Goods	-		-	
b. Work in Progress	-		-	
NET INCREASE/ (DECREASE) [1 - 2]		-	-	-

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -20

(Amount in ₹.)

ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Pay and Allowances	5,40,60,783	5,59,99,479
b. Other Allowances and Bonus	77,62,027	69,69,572
c. Contribution to Provident Fund	1,17,48,028	1,28,88,229
d. Staff Welfare Expenses	4,17,378	5,33,488
e. Expenses on employees retirement & terminal benefits	1,31,79,075	2,28,14,643
TOTAL	8,71,67,291	9,92,05,411

SCHEDULE -21

(Amount in ₹.)

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Electricity and water charges	16,22,747	17,34,103
b. Generator running & maintenance	6,57,117	9,30,125
c. Insurance	21,910	21,801
d. Repair and maintenance	10,33,382	9,65,461
e. Security charges and house keeping expenses	73,08,399	65,19,398
f. Vehicles Running and Maintenance	29,226	69,850
g. Postage, Telephone and communication charges	6,02,362	5,83,252
h. Printing and stationery	16,56,657	14,68,330
i. Travelling and Conveyance expenses	22,37,463	53,87,706
j. Newspaper & periodicals	16,285	52,206
k. Office expenses	4,97,876	3,65,744
l. Expenses on meeting\entertainment	4,04,321	2,40,525
m. Auditors remunerations/ fees	7,01,055	9,49,910
n. Legal & Professional Charges	26,33,830	20,29,019
o. Advertisement and publicity	4,51,572	3,35,005
p. Photocopy exp.	16,08,394	14,65,495
q. Property Tax	1,96,020	1,96,020
r. Membership Fee	-	-
s. Books & Periodicals	-	975
t. Rajbhasha Promotion Expense	3,71,778	95,839
u. Covid 19 Expenses	3,07,899	-
TOTAL	2,23,58,293	2,34,10,765

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -22

(Amount in ₹.)

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Grants given to Institutions/Organisations				
b. Subsidies given to Institutions/ Organisations(For Other than NE states)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	51,39,78,050		50,82,70,053	
- Legal charges for court cases under soft loan scheme	4,71,000		3,55,500	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	29,25,73,800		54,39,13,800	
iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture	52,84,043		1,66,49,101	
iv) Market Information Service for Horticulture Crops	1,90,744		-	
v) Horticulture Promotion Services	1,39,84,030		34,59,459	
vi) Mission Management & Administrative Expenses				
a Establishment Expenses - Centre	5,45,18,925		6,13,86,805	
b Administrative Expenses - Centre	2,15,43,496		2,86,44,671	
vii) Expenditure on International Exhibition at Beijing China	34,26,391		68,55,715	
Expenses (For NE States including Sikkim)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	80,19,500		76,56,000	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	2,90,80,000		3,40,00,000	
iii) Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture	1,50,000	94,32,19,979	45,63,108	1,21,57,54,212
TOTAL		94,32,19,979		1,21,57,54,212

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.

As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs), Partnership/Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/Committee, Municipal Corporations/Committees, Agro-Industries corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM, MoFPI schemes and Saffron Mission.

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -23

(Amount in ₹.)

INTEREST	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. On fixed loans		-		-
b. On other loans (including Bank charges)		-		-
c. Other (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM

Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE
PERIOD ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. VALUATION OF INVENTORIES

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost.

3. INVESTMENT

Not applicable.

4. EXCISE DUTY

Not Applicable.

5. FIXED ASSETS

The Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

6. DEPRECIATION

- Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rates prescribed under Income Tax Act, 1961.
- In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provision of the Income Tax Act, 1961.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Not applicable.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Not applicable

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- Grant-in-aid received from the Department of Agriculture, Co-operation & Farmers Welfare, Govt. of India is accounted for on realization basis.
- Grants-in-aid received from the Government under various Schemes, other than NHB Schemes, have been recorded in Earmarked Funds.
- There is no Grant-in-aid received in the nature of non-monetary assets as well as Grants related to specific fixed assets.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFITS

- a) Provision towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the actuarial basis.
- b) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that
- c) employees are entitled to receive the benefit as at each year end on the actuarial basis.

13. REVENUErecognition

- a) Income such as interest on FDR's, Saving Bank Account & service charges on loans & advances are accounted for on accrual basis.
- b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.
- c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are recorded in Corpus/Capital Fund.

14. Provision for Pay and Allowances for the month of March 2021 has not been made in the accounts because the same is payable in the next year.

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year NIL)
- 1.2 In respect of:
 - Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Bills discounted with banks Rs NIL (Previous year Rs NIL)
- 1.3 Disputed demands in respect of:
 - Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL)
- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity – Rs NIL (Previous Year NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year NIL)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs NIL (Previous year Rs. NIL).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income Tax Act 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary. National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the Assessment Year 2008-09. The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, 2011-12 to 2013-14 & 2014-15 and onwards but the same were rejected by the Income Tax Authorities .

The Board has filed writ petitions in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the decision of Income Tax Authorities. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court. The Board is registered with Income Tax Authorities u/s 12 AA of the Income Tax Act, 1961. The NHB is filing its Income Tax Returns (ITRs) of Nil income with the Income Tax Department timely every year along with audit report required by the Charitable institutions in compliance of Income Tax act, 1961. The TDS amounting to Rs. 68,39,887/- is deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits/ rent of NHB during the Financial year 2020-21 (relevant to Assessment Year 2021-22) which is claimable as refund at the time of filing of Income Tax Return with the Income Tax Authorities. The NHB has received refund from Income Tax Authorities for the Asstt. years 2016-17, 2017-18, 2018-19 & 2019-2020 on account of TDS deducted on interest earned on FDRs and rent receipts during the year by treated income as NIL.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

- Purchase of finished Goods	NIL
- Raw Materials &Components (Including in transit)	NIL
- Capital Goods	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL

6.2 Expenditure in foreign currency

a) Travelling Expenses	NIL
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/banks in Foreign Currency	NIL
c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness -	NIL
d) Other expenditure:	
- Commission on Sales	NIL
- Legal and Professional Expenses	NIL
- Miscellaneous Expenses :-	NIL]

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis	NIL
-------------------------------	-----

6.4 Remuneration to auditors:

- As Audit Fees	NIL
- Out of Pocket Expenses	NIL
- Taxation Matters	NIL
- Others	NIL

7. The Funds accumulated on account of cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as Fixed assets created out of the cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the Annual Accounts of the Board.
8. The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suits have been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.
9. As per practice in NHB, regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than Principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in Principal amount. During the current financial year recovery under erstwhile soft loan scheme of NHB is Nil.
10. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India decided (February 2017) to temporarily transfer land & building of erstwhile National Oil Seeds & Vegetable Oil Development Board (NOVOD) (wound up in September 2016) to NHB and directed NHB to pay wages of security staff, electricity expenses etc. from their budget for which funds would be transferred to NHB later on. An amount of Rs. 18,96,914/- is recoverable as on 31st March'2021 and shown in the Books of Account.
11. Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.
12. The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs.19,44,49,582/- has been made up to 31.3.2021.
13. Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.
14. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.
15. Figures have been rounded off to the nearest rupee.
16. Schedules 1 to 25 are annexed to and from an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2021 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Place : GURUGRAM
Date : 23/06/2021

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Joint Director (Admin.)/HOO

Sd/-
Accounts Officer

Promoting

Horti Entrepreneurship

Technology and Innovation

in Indian Horticulture

through NHB Schemes on Commercial Cultivation
of Horticulture Crops and Creation of
Post Harvest Management Infrastructure



NATIONAL HORTICULTURE BOARD
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India

HI-TECH COMMERCIAL HORTICULTURE IN OPEN & PROTECTED COVER

POLY HOUSE CULTIVATION

COLD STORAGE/CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE

REEFER TRUCKS

MANDATE OF NHB

TRANSFER OF TECHNOLOGY

PRIMARY PROCESSING

PROMOTION OF MECHANISATION IN HORTICULTURE

PACK HOUSE

ENSURING AVAILABILITY OF QUALITY PLANTING MATERIAL THROUGH NURSERY ACCREDITATION PROGRAMME